राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
(एनआईसीडीआईटी)

वार्षिक रिपोर्ट
और
अंकेक्षित वित्तीय विवरण
(हिंदी तथा अंग्रेज़ी)

वित्तीय वर्ष 2020-21

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.फ़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी		
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	न्यास		
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2012		
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)		
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	न्यास विलेख तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017		
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं)		
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर		
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक		
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ		
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	**वित्तीय वर्ष**	**लोकसभा**	**राज्यसभा**
		2017-18	17.07.2019	26.07.2019
		2018-19	21.09.2020	12.02.2021
		2019-20	10.02.2021	12.02.2021
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट	1 - 38
2	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	39 - 44
3	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रमाणित वार्षिक खाते	45 - 58

वार्षिक रिपोर्ट
(वित्तीय वर्ष 2020-21)

15 सितंबर 2011 को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 27 सितंबर, 2012 को ट्रस्ट डीड के निष्पादन द्वारा डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड निगमित किया गया था।

भारत सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2016 के आदेश द्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के अधिदेश और दायरे को विस्तारित करने तथा देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित करने के लिए अनुमोदन दिया। एनआईसीडीआईटी, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। सरकार ने निम्नलिखित संरचना के साथ एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल संरचना के गठन को भी अनुमोदन दिया है:

1. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष;
2. सचिव, व्यय विभाग, सदस्य;
3. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य;
4. सचिव, सड़क यातायात एवं राजमार्ग, सदस्य;
5. सचिव, पतन, पोत-परिवहन और जलमार्ग सदस्य;
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य;
7. सीईओ, नीति आयोग, सदस्य; और
8. सीईओ, एनआईसीडीआईटी, सदस्य सचिव

एनआईसीडीआईटी की भूमिका, उत्तरदायित्व तथा कार्य निम्नानुसार हैं:

क) औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एक सक्षम संस्थानिक, वित्तपोषण और क्रियाशील ढांचे को स्थापित करना;

ख) नए औद्योगिक गलियारों, नोडों, अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट और स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना;

ग) सभी प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करना और एसपीवी को इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों को

अधिकृत करना और वित्तीय अधिकारों के अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजना विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति;

घ) नॉलिज पार्टनर(रों), विशेष प्रयोज्य योजनाओं (एसपीवी) और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक गलियारों में परियोजना विकास गतिविधियों को सहारा देना और उद्योगों के लिए प्रमुख निवेशकों की पहचान करने में राज्यों की सहायता करना;

ङ) आवश्यकता के अनुसार ऋण/इक्विटी एकत्र करना, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/अन्य स्टेक होल्डरों के साथ संयुक्त उद्यम में गठित एसपीवी को इक्विटी/ऋण उपलब्ध कराना;

च) पिछले अनुच्छेदों में उल्लिखित तौर-तरीकों को प्रभावी रूप देने के लिए, समय-समय पर आवश्यकता अनुसार, राज्य सरकारों/परियोजना विशेष एसपीवी/सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों के साथ अनुबंध करना;

छ) विशेष रूप से पहचाने गए अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट जिन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित किया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए राज्यों के मौजूदा तंत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराना। बहरहाल, शहर/नोड के लिए भूमि आवश्यक रूप से राज्य की इक्विटी होगी और राज्य द्वारा अधिगृहित की जाएगी और उनके द्वारा पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

ज) एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों को रखेगा और खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

एनआईसीडीआईटी का संस्थानिक ढांचा निम्नानुसार है:

क. एनआईसीडीआईटी का निदेशक मंडल प्रत्येक एसपीवी की अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि अधिग्रहण और कार्य के वास्तविक निष्पादन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ऋण और इक्विटी के इष्टतम मिश्रण, वित्तीय साधनों के विकल्प, निधियों की मात्रा, नियम एवं शर्तें और भारत सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान से संवितरण अनुसूची को अनुमोदित और स्वीकृति देगा। इसी प्रकार परियोजना विकास के लिए नॉलेज पार्टनर(रों) को अनुदान कार्य की प्रगति के अनुसार चरणों में दिया जाएगा।

ख. एनआईसीडीआईटी वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए भारत सरकार के उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएगी और औद्योगिक गलियारों के विकास को सक्षम बनाने हेतु यथोचित अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात कर-मुक्त बांड, कैपिटल गेन बांड, साख संवर्धन, आदि जारी करेगी।

ग. एनआईसीडीआईटी, भारत सरकार के अंशदान का परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग करेगा। भारत सरकार द्वारा एसपीवी में किया गया निवेश एनआईसीडीआईटी के माध्यम से होगा ताकि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का प्रयोग कर एनआईसीडीसी द्वारा अभी तक विकसित एसपीवी सहित एसपीवी के सभी ऋण भुगतान और एसपीवी से इक्विटी विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त धन को परिक्रामी निधि में पुन: लगाया जाए, जो एनआईसीडीआईटी को भविष्य में इस प्रकार के औद्योगिक गलियारे विकसित करने में सक्षम बनाएगा। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी भारत सरकार/राज्य सरकारों से उपयुक्त गारंटियों द्वारा साख संवर्धन के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण जुटा सकते हैं, ताकि यह बीमा और पेंशन निधियों द्वारा निवेश के लिए अर्थक्षम हो। नोडल/सिटी लेवल एसपीवी को नवप्रवर्तन अवसंरचना निधिकरण शामिल करने और यूजर फी फंडिंग, मूल्य नवप्रवर्तन और विभिन्न पीपीपी व्यवस्था जैसे भुगतान साधनों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार/एसपीवी द्वारा ऋण अथवा अन्य संसाधनों के रूप में एकत्र की गई निधि को भी राज्य की ओर से योगदान गिना जायेगा।

घ. पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना प्रोजेक्ट के अनुसार उनके सूत्रीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रचलित दिशा-निदेशों का अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं प्रचलित नीति के अनुसार वॉयाबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की पात्र होंगी। डीपीआईआईटी के सचिव और एनआईसीडीआईटी के सदस्य सचिव, औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुमोदन समिति (पीपीपीएसी) के सदस्य होंगे। मास्टर प्लान/डेवलपमेंट प्लान के अनुसार समन्वित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में औद्योगिक गलियारों में वीजीएफ के लिए सभी प्रस्तावों को एनआईसीडीआईटी द्वारा जांचा और अनुशंसित किया जाएगा।

ङ. प्रत्येक इंडस्ट्रियल सिटी/नोड को भारत सरकार से औसतन 2500 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जो भौगोलिक स्थान, आकार, राज्य के योगदान और विकासात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अधिकतम 3000 करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक शहर/नोड के लिए वास्तविक आवश्यकता भिन्न-भिन्न हो सकती है, जो भूमि की लागत और अवसंरचना विकास तथा भूमि अधिप्राप्ति/लैंड पूलिंग के लिए धन जुटाने की राज्य सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। राज्य सरकार का योगदान भूमि अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित किसी भी स्रोत से उसके द्वारा जुटाए गए धन के रूप में होगा। यद्यपि गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए कुल आवश्यकता बहुत अधिक हो सकती है और यह शहर प्रति शहर भिन्न होगी और भारत सरकार से मांगी जा रही उपरोक्त उल्लिखित धनराशि इन शहरों/नोडों में विकास के प्रथम चरण को शुरू करने के लिए है। बाद में, धनराशि आंतरिक मुद्रीकरण, आदि द्वारा जुटाई जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

एनआईसीडीआईटी अपने सम्मुख प्रस्तुत सभी गैर-पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। एनआईसीडीआईटी बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर, यह 300 करोड़ रुपए तक की मूल्यांकित परियोजनाओं का अनुमोदन देगा। 300 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ तक की मूल्यांकित परियोजनाओं के मामले में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक सभी प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा, सीसीईए ने 30.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, भूमि की उपलब्धता और भौतिक तैयारियों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के चरण बदलने के लिए एनआईसीडीआईटी को अधिकार प्राप्त किये हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान न्यासी मंडल ने 19 अगस्त, 2020 और 14 जनवरी, 2021 को बैठक आयोजित की।

इंडस्ट्रियल कोरिडोर नोड का नियोजन और उनकी अपनाई गई संधारणीयता विशेषताएं:

विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल कोरिडोर नोड्स एक लंबे समय तक चलने वाले दृष्टिकोण को अपनाते है जो खुले हरित क्षेत्रों, पब्लिक ट्रांजिट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, पारंपरिक ऊर्जा के प्रयोग को न्यूनतम करना, जल संरक्षण को ईष्टतमीकरण और पुन:चक्रण करना, ठोस अपशिष्ट सामग्रियों को एकत्रित और पुन:चक्रित करने सहित लो कार्बन सिटी (एलसीसी) विकसित करने के लिए आधारभूत कार्य करते हैं। ट्रंक अवसंरचना की प्रमुख विशेषताएं जो सभी नोड्स में अपनायी जाती है, निम्नलिखित है:-

क) सभी सुविधाओं को भूमिगत बनाए जाने की योजना है जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा। वे परिवहन मार्ग से बाहर भी है ताकि अनुरक्षण और अन्य कार्यों के दौरान मुख्य परिवहन मार्ग प्रभावित न हो।

ख) बस स्टेशनों को पैदल चल कर पहुंचने वाली 400 मीटर दूरी पर बनाया जाएगा। पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर अंतिम छोर संपर्कता विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। यातायात पर प्रभाव को कम करने के लिए बस बे/ बस स्टॉप के लिए प्रावधान है।

ग) अपशिष्ट जल को एसटीपी और सीईटीपी से एकत्रित कर पुन:चक्रित किया जाएगा और इसे गैर

पीने योग्य उद्देश्य से शहर में पुन: वितरित किया जाएगा। किसी भी ओवरफ्लो से बचने और कुशलता बनाए रखने के लिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। स्थायी उपाय के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) को अपनाया जाएगा। औद्योगिक और रिहायशी लाइनों के लिए पृथक-पृथक सीवर लाइनें होगी।

घ) सिटी लेवल पर वर्षा जल संग्रहित कर जल संरक्षण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए धौलेरा में 2500 मिलियन लिटर क्षमता से अधिक वाले 100 मीटर चौड़े चैनल को वर्षा जल संग्रहण, पार्कों और बगीचों की सिंचाई के साथ-साथ गैर पीने योग्य उद्देश्य से उपयोग मे लाया जाएगा।

ङ) ग्रीनफील्ड सिटी की संपूर्ण अवसंरचना योजना वास्तविक समय पर सूचना और इसे प्रभावी रूप से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए स्काडा, सेंसरों और ऑटोमेशन के साथ तैयार की गई है। यह इंटलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई-गवर्नेंस, डिजीटल हेल्थ एवं एजुकेशन, इमरजेंसी और सिटी ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाएगा।

च) खुले हरित क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण अनुक्रम द्वारा हरित क्षेत्रों की योजना निम्नानुसार है:

i. पांच मिनट की पैदल दूरी पर नज़दीकी पार्क;
ii. दस मिनट की पैदल दूरी पर सामुदायिक पार्क;
iii. शहर के भीतर स्टोर्म वाटर केनाल के साथ लाइनर पार्क।

छ) सुरक्षित और स्थायी मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए योजना बनाई गई है जो सार्वजनिक परिवहन मोड और गैर-मोटर चालित मोड के साथ एकीकृत है।

ज) सामाजिक अवसंरचना के साथ समूहों में पार्किंग सुविधाओं के साथ प्रमुख पारगमन क्षेत्रों में नियोजित विद्युत चार्जिंग स्टेशन आयोजित है।

झ) सभी झीलों को बेहतर बनाया जा रहा है और पानी की धारणीयता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नहरों की योजना है और रहने वालों के लिए मनोरंजन क्षेत्र उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

ञ) निवासियों के लिए चलने और प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक फुटपाथ और साइकिल ट्रैक।

ट) सभी प्लॉट और परिसंपत्तियों को देखने के लिए व्यापक वेब आधारित जीआईएस ऐप्लिकेशन। सूचना प्राप्त करने, भूमि के लिए आवेदन और आबंटन के लिए अपने आवेदन को देखने के लिए निवेशकों हेतु व्यापक ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली।

व्यापार और परिचालन की समग्र समीक्षा

परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

1. डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए, निम्न चार स्थानों पर महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण की गतिविधियां जोरों पर है:

    - गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए 22.5 वर्ग किमी माप का सक्रियण क्षेत्र;
    - महाराष्ट्र में शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के चरण-1 के लिए 18.55 वर्ग किमी क्षेत्र;
    - ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 747.5 एकड़ क्षेत्र वाला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट;
    - मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट

2. भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में 3 प्लॉट, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप में 5 प्लॉट, मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप विक्रम उद्योगपुरी में 3 प्लॉट और महाराष्ट्र के शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में 70 प्लॉट वित्त वर्ष 2020-21 तक आबंटित किए गए हैं। लगभग 6,500 एकड़ भूमि (प्लग एंड प्ले) उद्योग एवं अन्य (वाणिज्यिक एवं आवसीय) उपयोग के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध है।;

3. आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम नोड, कर्नाटक में तुमकुरू नोड और तमिलनाडु में पोन्नेरी नोड के लिए शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और प्रोजेक्ट एसपीवी को भी निगमित किया गया है;

4. एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 19 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में निम्न औद्योगिक गलियारों को शामिल करने एवं औद्योगिक नोड को विकसित करने पर सहमति दी है:

    i. हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी) के तहत चरण 1 में हैदराबाद फार्मा सिटी;
    ii. हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर_(एचएनआईसी) के तहत जहीराबाद एनआईएमजेड;
    iii. ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कोरिडोर (ईसीईसी) के हिस्से के रूप में ओडिशा इंडस्ट्रियल कोरिडोर_(ओईसी) के अंतर्गत चरण 1 में कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए दो प्राथमिकता वाले नोड्स अर्थात् गोपालपुर-भुवनेश्वर-कलिंगानगर (जीबीके) और पारादीप-केंद्रपाड़ा-

धर्मा-सुवर्णरेखा (पीकेडीएस);

iv. हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल नोड के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

5. वर्तमान में, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के भाग के रूप में 04 चरणों में विकसित किए जाने वाली 32 परियोजनाओं के साथ निम्न 11 इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकसित किए जा रहे हैः

i. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी);
ii. चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी);
iii. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी);
iv. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीईसी) फेज 1 के रूप में विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी);
v. बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी);
vi. कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार;
vii. हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी);
viii. हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी);
ix. हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी);
x. ओडिशा इकनोमिक कोरिडोर (ओईसी) और
xi. दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी) ।

4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित 32 परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार हैः

चरण 1
(पहले से ही अनुमोदित और जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है)

- **1.1:** धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किमी), (गुजरात, डीएमआईसी)
- **1.2:** शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए) (18.55 वर्ग किमी), (महाराष्ट्र, डीएमआईसी)
- **1.3:** इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप - ग्रेटर नौएडा (आईआईटी-जीएन), (747.5 एकड़), (उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी)
- **1.4:** इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप - विक्रम उद्योगपुरी (आईआईटी - वीयू), (1,100 एकड़), (मध्य प्रदेश, डीएमआईसी)
- **1.5:** इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब - नांगल चौधरी (आईएमएलएच-एनसी), (886 एकड़) (हरियाणा, डीएमआईसी)

चरण 2
(योजना के उन्नत चरण में जिनका क्रियान्वयन 2021 तक शुरू किया जाएगा और 2024 तक पूरा होने की संभावना है)

- **2.1:**कृष्णापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया (2,500 एकड़) (आंध्र प्रदेश, सीबीआईसी)
- **2.2:** तुमकुरु इंडस्ट्रियल एरिया (1,736 एकड़) (कर्नाटक, सीबीआईसी)
- **2.3:** मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब एवं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमएलएच एवं एमएमटीएच) (1,183 एकड़), (उत्तर प्रदेश, डीएमआईसी)
- **2.4:** दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (5,935 एकड़) (महाराष्ट्र, डीएमआईसी)
- **2.5:** मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, सानंद (500 एकड़) (गुजरात, डीएमआईसी)
- **2.6:**जहीराबाद चरण 1 (4,000 एकड़) (तेलंगाना, एचएनआईसी)
- **2.7:** हैदराबाद, चरण 1 (8,000 एकड़) (तेलंगाना, एचडब्ल्यूआईसी)
- **2.8:** रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल पार्क (2,483 एकड़) (पश्चिम बंगाल, ऐकेआईसी)

चरण 3
(विकासाधीन और जिनका क्रियान्वयन 2023 तक शुरू किया जाएगा एवं 2026 तक पूरा होने की संभावना है)

- **3.1:** पोन्नेरी इंडस्ट्रियल एरिया (4,000 एकड़) (तमिलनाडु, सीबीआईसी)
- **3.2:** पालक्कड इंडस्ट्रियल एरिया (1,878 एकड़) (केरल, सीबीआईसी एक्सटेंशन)
- **3.3:** सेलम (1,773 एकड़) (तमिलनाडु, सीबीआईसी एक्सटेंशन)
- **3.4:** हिसार इंटीग्रेटेड मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, आईएमसी (1,600 एकड़), (हरियाणा, एकेआईसी)
- **3.5:** कोपार्थी इंडस्ट्रियल एरिया (5,760 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)
- **3.6:** विशाखापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया (1,100 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)
- **3.7:** चित्तूर इंडस्ट्रियल एरिया (8,967 एकड़) (आंध्र प्रदेश, वीसीआईसी)
- **3.8:** प्राग खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी (1,002 एकड़), (उत्तराखंड, एकेआईसी)
- **3.9:** जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (6,570 एकड़), (राजस्थान, डीएमआईसी)

चरण 4
(अवधारणा के तहत जिनका क्रियान्वयन 2024 तक शुरू किया जाएगा और 2027 तक पूरा किए जाने की संभावना है)

- **4.1:** धारवाड़ नोड (6,400 एकड़) (कर्नाटक, बीएमआईसी)
- **4.2:** सतारा नोड (11,366 एकड़) (महाराष्ट्र,बीएमआईसी)
- **4.3:** राजपुरा पटियाला आईएमसी (1,100 एकड़) (पंजाब, एकेआईसी)
- **4.4:** आगरा आईएमसी (1,059 एकड़) (उत्तर प्रदेश, एकेआईसी)
- **4.5:** एकेआईसी के अंतर्गत झारखंड में आईएमसी
- **4.6:** एकेआईसी के अंतर्गत गया, बिहार में आईएमसी (1,670 एकड़)
- **4.7:** ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) (11,366 एकड़)
  - पारादीप-केंद्रपाड़ा-धमा-सुबर्नरेखा
  - गोपालपुर-भुवनेश्वर-कलिंगनगर
- **4.8:** ओरवकल इंडस्ट्रियल एरिया (9,800 एकड़) (आंध्र प्रदेश, एचबीआईसी)
- **4.9:** खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया (1,625 एकड़) (राजस्थान, डीएमआईसी)
- **4.10:** दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

6. 30 दिसंबर, 2020 को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा 32 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया, यथाः

   i. सीबीआईसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया;

   ii. सीबीआईसी के अंतर्गत कर्नाटक में तुमकुरू इंडस्ट्रियल एरिया और

   iii. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फ्रेट विलेज के रूप में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)

7. उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्न परियोजनाओं के लिए भी परियोजना विकासात्मक गतिविधियां की जा रही है -

   - गुजरात में अहमदाबाद से धौलेरा तक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम;
   - अहमदाबाद से धौलेरा तक 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे;
   - गुजरात के सानंद में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क;
   - गुजरात के धौलेरा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट;
   - भीमनाथ धौलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट

ट्रस्ट/सीसीईए द्वारा अनुमोदित सहित निष्पादित किए जा रहे विभिन्न नोडों की स्थिति निम्नानुसार है:

<u>दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट</u>

1. <u>गुजरात</u>

<u>धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर):</u>

- विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी अनुप्रवाह गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां कर रहें है;
- "धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित की गई है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 44.27 वर्ग किमी भूमि अंतरित की है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)] द्वारा 2,551.94 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी है;
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पांच पैकेजों में बंटे 2784.82 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित किया है, जिनमें से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:
  - सड़क और सेवा अनुबंध (1734 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 88%;
  - एबीसीडी बिल्डिंग अनुबंध (72.31 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्य पूरा हो गया है;
  - जल शोधन संयंत्र अनुबंध (90 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एसपीएमएल चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति – 30.00%;
  - मलजल उपचार संयंत्र अनुबंध (54 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति – 79%;
  - सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अनुबंध (160 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति – 61%;
- मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) नियुक्त किया गया है, डी.आर. अग्रवाल चयनित एजेंसी है। चरण-1 क्षेत्र के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है;
- भूमि भराव, निर्माण, एमईपी और भूनिर्माण सहित केनल फ्रंट विकसित करने के लिए ईपीसी (38 करोड़ रूपए) दे दिया गया है। पी आर पटेल एंड क. चुना गया बोलीदाता है और मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 77%
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स (प्रमुख निवेशक के रूप में 126 एकड़), टोरेंट पॉवर (20.78 एकड़) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (5.93 एकड़) को 152.71 एकड़ माप वाले 03 प्लॉट आबंटित किए गए हैं;
- अन्य अवसंरचना/विविध कार्यः
  - पीपली से 10 एमएलडी अल्पकालीन जलापूर्ति कार्य का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य। मार्च, 2021 तक कार्य की भौतिक प्रगति 99.02% है।

- फेड्रा से एक्टिवेशन एरिया, डीएसआईआर तक ट्रांसमिशन लाइन खड़ी करने, कमीशनिंग और चार्जिंग के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीईटीसीओ) द्वारा ठेकेदार नियुक्त। फरवरी, 2021 तक कार्य की समग्र भौतिक प्रगति 60% है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर पार्क (गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा जारी निविदा) में से 300 मेगावाट टाटा पावर लिमिटेड को प्रदान की गई।
- निम्न निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं:
  - एक्टिवेशन क्षेत्र में 5.96 किमी लंबाई की साइड स्लोप स्टोर्म वाटर ड्रेनेज संवर्धित करना
  - एक्टिवेशन क्षेत्र में 162 हेक्टेयर के चयनित भूखंडों में मिट्टी संबंधी कार्य। कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 11.00% है।
  - विविध निर्माण कार्यों (7 निर्माण परियोजनाओं) के पर्यवेक्षण के लिए नियोक्ता अभियंता की परामर्श सेवाएं।
  - डीएसआईआर में डिसलाइनेशन प्लांट स्थापित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु परामर्श सेवाएं।
  - अधिया नदी बांध चरण II का निर्माण
  - डीएसआईआर में एसपीवी भवन के आंतरिक कार्यों का निर्माण।

<u>सानंद, गुजरात में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) (500 एकड़):</u>

- परियोजना परामर्शदाताओं द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- एमएमएलपी साइट तक सर्वोत्तम रेल संपर्कता विकल्प को अंतिम रूप देने के लिए पश्चिम रेलवे और डीएफसीसीआईएल के साथ चर्चा जारी है;
- एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में जीआईडीसी द्वारा गुजरात सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच एसएचए क्रियान्वित करने की मंजूरी दे दी है जिसे राज्य सरकार से भूमि मूल्यांकन प्राप्त होने के बाद निष्पादित किया जाएगा।
- मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- नवंबर, 2020 में, गुजरात सरकार ने सानंद में एमएमएलपी परियोजना के लिए 199 हेक्टेयर की उपलब्धता की पुष्टि की थी
- राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी और 17 फरवरी, 2021 को भूमि के अस्थायी मूल्यांकन सूचित किया गया है जिसके आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता का आंकलन किया गया है।

- मार्च, 2021 में परियोजना की व्यवहार्यता और परियोजना क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में इसी तरह की सुविधा के विकास पर विचार करते हुए परियोजना की प्राथमिकता की पुष्टि करने के अनुरोध हेतु राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है।

<u>गुजरात में अहमदाबाद और धौलेरा के बीच एमआरटीएस:</u>

- एमआरटीएस के लिए डीपीआर तैयार हो गई है और राज्य सरकार ने अनुमोदन दे दिया है;
- परियोजना को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जीका रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है;
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण, अहमदाबाद से धौलेरा तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में किया गया है;
- एनएचएआई द्वारा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और डीएसआईआरडीए द्वारा डीएसआईआर के भीतर कार्यान्वयन हेतु भूमि एनएचएआई को सौंप दी है;
- एक्सप्रेसवे के संपूर्ण भाग के लिए चार पैकेजों में निर्माण हेतु एनएचएआई द्वारा बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है;
- गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के चरण 1 के लिए, राज्य सरकार ने एक एसपीवी - "मेट्रो लिंक एक्सप्रेस बिटवीन गांधीनगर एंड अहमदाबाद" गठित की है।

<u>धोलेरा, गुजरात में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट:</u>

- ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में मैसर्स पीडब्ल्यूसी के कॉन्सॉर्टियम को नियुक्त किया गया है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नागरिक उड्यन मंत्रालय ने परियोजना के लिए "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृति दे दी है;
- गुजरात राज्य सरकार ने 30 वर्ष के लिए, जिसे बाद में आपसी सहमति से आगे 30 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, प्रति वर्ष 1 रुपए की लीज किराए पर 1426 हेक्टयर भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति दी है;
- एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के निदेशक मंडल ने डीपीआर और परियोजना में 51 प्रतिशत इक्विटी को अनुमोदन दे दिया है;
- एएआई, गुजरात राज्य सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच दिनांक 25.03.2019 को शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) हस्ताक्षरित किया गया;
- एनआईसीडीआईटी ने अपनी इक्विटी (16 प्रतिशत) के रूप में 24.24 करोड़ रुपए जारी किए है;

- प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग परामर्शदाता के रुप में राइट्स को नियुक्त किया गया है;
- गुजरात के सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ शमन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है जबकि आईआईटी, गांधी नगर द्वारा भू-अन्वेषण किया जा रहा है।
- एएआई ने 25 फरवरी, 2021 को धौलेरा, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के लिए 987 करोड़ रूपए के निवेश वाली ईपीसी निविदा जारी कर दी है।

भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट:

- दिनांक 06 सितंबर, 2017 को आयोजित बैठक के दौरान पश्चिम रेलवे द्वारा अंतिम रुप दिए गए अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत को एसपीवी-डीआईसीडीएल के निदेशक मंडल ने अनुमोदन दे दिया है;
- परियोजना को रेल मंत्रालय के गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर) मॉडल के अनुसार डीआईसीडीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रोजेक्ट को एनआईसीडीआईटी और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और परियोजना की लागत 100 प्रतिशत इक्विटी के रूप में वित्तपोषित की जाएगी;
- पश्चिम रेलवे द्वारा डीपीआर की समीक्षा की गई है और सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। पश्चिम रेलवे से लागत अनुमानों पर अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- डीएसआईआरडीए द्वारा अहमदाबाद और बोटाड के जिला अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम/विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।
- राज्य सरकार के पास भीमनाथ और धौलेरा स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन (क्षेत्रफल - 15.5 हेक्टेयर) के बीच नई रेल लाइन हेतु वन संबंधी क्लीयरेंस प्रक्रियाधीन है।

2. महाराष्ट्र

शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए):

- एसबीआईए (8.39 वर्ग किमी) के चरण-1 के प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए है;
- सभी अनुप्रवाह गतिविधियों को समन्वित कर प्रोग्राम मैनेजर कार्यान्वयन संबंधित गतिविधियों को कर रहे हैं;
- "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड" (एआईटीएल) नामक नोड /सिटी लेवल एसपीवी को निगमित किया गया है। राज्य सरकार ने एसपीवी को 8.39 वर्ग किमी भूमि अंतरित कर दी है

और एनआईसीडीआईटी (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट)) द्वारा 602.80 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;

- शेन्द्रा-बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दे दी है;
- शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 1533.44 करोड़ रुपए वाले विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:-

  - सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, मलजल एवं उर्जा प्रणाली के लिए ईपीसी दे दिया गया है (656.89 करोड़ रुपए)। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 96%;
  - ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी (69.45 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पाटिल कन्सट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चुने गए ठेकेदार है। मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 95%;
  - जिला प्रशासन भवन के लिए ईपीसी (129 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। कार्य पूरा हो गया है और भवन प्रयोग में है;
  - मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य एफ्फुलेएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ईपीसी (72.52 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। पस्सवंट एनर्जी लिमिटेड चुने गए ठेकेदार है। मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 90.00%; एक सीईटीपी चालू हो गया है;
  - लैंडस्केपिंग और जल सिंचाई कार्यों के लिए ईपीसी (112 करोड़ रुपए) दे दिया गया है, शापूरजी पल्लोनजी चुने गए ठेकेदार है। मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 13.90%;
  - आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्यों हेतु ईपीसी (142 करोड़ रुपए) दे दिया गया है, हनीवेल चुने गए ठेकेदार है। टेस्टिंग और कमीशनिंग सहित कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर कार्य पूरे हो गए हैं।

- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में 245 एकड़ माप के 70 प्लॉट आबंटित किए गए हैं। शेन्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया में प्रथम प्रमुख निवेशक दक्षिण कोरिया की ह्योसंग कॉर्पोरेशन है। अन्य प्लॉट प्रमुखतः लघु और मध्यम उपक्रमों को आबंटित किए गए हैं। 09 कंपनियों ने शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरु कर दिया है;

- बिडकिन के लिए परियोजना विकासात्मक गतिविधियां शुरू की जा रही है और 6414.21 करोड़ रुपए कीमत वाले महत्वपूर्ण अवसंरचना पैकेजों को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) [पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी ट्रस्ट) और बाद में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है;
- राज्य सरकार ने बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रोजेक्ट एसपीवी को 28.75 वर्ग किमी भूमि अंतरित की है और 2397.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी हो गई है;
- भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच बिडकिन में मैगा टेक्सटाइल पार्क और ऊर्जा तथा नवीकरणीय उपकरणों के लिए विनिर्माण जोन स्थापित किए जाने की संभावना पर चर्चा जारी है;
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न पैकेजों में से प्रत्येक की स्थिति निम्नानुसार है:
  - एलएंडटी को बिडकिन के चरण-I अर्थात 10 वर्ग किमी में सड़क, भूमिगत सुविधाओं/सेवाओं के लिए ईपीसी ठेकेदार (1223 करोड़ रुपए) नियुक्त किया गया है और कार्यान्यवन संबंधी गतिविधियां प्रगति पर है। मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 99%;
  - आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्य (81.91 करोड़ रुपए) के लिए केईसी इंटरनेशनल को नियुक्त किया गया है। मार्च, 2021 तक भौतिक प्रगति - 85%
  - खोडेगांव डब्ल्यूटीपी से बिडकिन यूजीएसआर तक पाइपलाइन (38 करोड़ रुपए) के लिए एलएंडटी चुनी गई एजेंसी है। मार्च, 2021 तक कार्य की भौतिक प्रगति - 75%.
  - बिडकिन में लैंडस्केपिंग कार्यों के लिए आरएफपी सह आरएफक्यू पहले ही जारी कर दिया गया है और बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

<u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, महाराष्ट्र:</u>

- मैसर्स एजिस इंडिया को विस्तृत मास्टर प्लालिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां करने हेतु नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता ने एसपीवी द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के लिए 3,500 हेक्टेयर भूमि हेतु फाइनल मास्टर प्लान प्रस्तुत कर दिया है।
- 12 नवंबर, 2020 को राज्य सरकार ने 2,402 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है जिसमें 1,466 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है।
- मास्टर प्लानिंग पर कार्य किया जा रहा है।

3. मध्य प्रदेश

इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन:

- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोरपोरेशन लिमिटेड (एमपीटीआरआईएफएसी) एवं एमपी औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एमपीएकेवीएन) के बीच शेयर खरीद सह शेयरहोल्डर एग्रीमेंट निष्पादित किया गया है। 'डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित की गई है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 1100 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति पहले ही प्राप्त की जा चुकी है ।
- प्रोजेक्ट की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा वैली डेवलपमेंट ऑथोरिटी (एनवीडीए) और विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के बीच उज्जियनी से उज्जयन के इंडस्ट्रियल एरिया विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड तक पाइप से जल आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है;
- प्रोग्राम मैनेजमेंट कन्सलटेंट के रूप में एईकॉम निर्माण संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षण कर रही है;
- ईपीसी ठेकेदार को दिया गया प्रमुख अवसंरचना विकसित करने का कार्य मार्च, 2021 में पूरा हो गया है और परिष्करण कार्य जारी है।
- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और 22.14 माप के तीन प्लॉट (अमूल को आबंटित 12 एकड़ सहित) आवंटित कर दिए गए है।

4. हरियाणा

नांगल चौधरी में इंटिग्रेटिड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच):

- महेंद्रगढ़ जिला में लगभग 886 एकड़ भूमि प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित की गई है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच "एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड" नामक एसपीवी निगमित की गयी है;
- प्रोजेक्ट के लिए मास्टर प्लानिंग हो गई है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है;

- सीसीईए ने चरण-I विकसित करने के लिए 1029.49 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति और परियोजना के चरण-II को विकसित किए जाने की "सैद्धांतिक" सहमति के साथ प्रोजेक्ट को अनुमोदित कर दिया है;
- राज्य सरकार ने कुल भूमि में से 686 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 208.05 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी (5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक इक्विटी सहित) जारी कर दी गई है;
- शेष भूमि में से लगभग 158 एकड़ भूमि पर मुकदमें चल रहे हैं और मामला माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सुनिश्चित तारीख मार्च 2020, मई 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में चर्चा नहीं हो सकी। सुनवाई की अगली तिथि 23 जुलाई, 2021 है।
- एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 19 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृति प्रदान की है कि एसपीवी अपने स्रोत से साइट की सीमा तक बिजली, पानी और सड़क की बाहरी कनेक्टिविटी की लागत वहन करेगा जो एनआईसीडीआईटी से बिना किसी अतिरिक्त इक्विटी/ऋण योगदान के होगा।
- रेल मंत्रालय (एमओआर) ने रेल अधिनियम के तहत 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस भूमि के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए, 22 दिसंबर, 2020 को एचएसआईआईडीसी, एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड (प्रोजेक्ट एसपीवी) और एनआईसीडीसी के माध्यम से रेल मंत्रालय, डीपीआईआईटी, हरियाणा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।
- इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को परियोजना के रेलवे कनेक्टिविटी कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पीएमसी तैयार करने के लिए परामर्श कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। रेल साइडिंग के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।
- साइट से बाहरी संपर्क - एसपीवी ने जमा आधार पर कार्य करने हेतु राज्य सरकार के 3 विभागों (सड़क, बिजली और पानी) को 103.93 करोड़ रुपये जारी किए हैं और निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं।
- मौजूदा नए डाबला स्टेशन में यार्ड संशोधन सहित नए डाबला डीएफसीसीआईएल स्टेशन से इंटीग्रेटेड मोडल लॉजिस्टिक हब (आईएमएलएच), नांगल चौधरी तक रेल कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए ईपीसी निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और जारी किए जाने हैं।

<u>मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट:</u>

- राज्य सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कोरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ फाइनल डीपीआर को अनुमोदित कर दिया है;
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा सरकार के बीच "डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड" नाम से एसपीवी निगमित की गयी है;
- भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है;
- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के जीका स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल किया गया है;
- एनआरसीटीसी से डीपीआर की समीक्षा करने और आगे का रास्ता सुझाने का अनुरोध किया गया था और तदनुसार, एनआरसीटीसी का विचार था कि गुड़गांव में मेट्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केवल एक ही एजेंसी जिम्मेदार होगी।
- एनआरसीटीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट फरवरी, 2020 में हरियाणा सरकार के साथ साझा की गई थी।
- हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ हाल की बैठकों के दौरान, यह बताया गया था कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) हरियाणा राज्य में सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी होगी और तदनुसार, गुड़गांव बावल मेट्रो परियोजना को भी एचएमआरटीसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

<u>ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट:</u>

- ग्लोबल शहर के आंतरिक भाग और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में वित्तीय/व्यवसायिक केंद्र की योजना तैयार की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा अंतिम मास्टर प्लान को अनुमोदन दे दिया गया है।
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और हरियाणा राज्य सरकार के बीच "एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड" नाम से प्रोजेक्ट एसपीवी को निगमित किया गया है;
- सड़कों और सेवाओं/उपयोगिताओं के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग पूरी कर ली गई है;
- 1100 एकड़ भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है।
- एचएसआईआईडीसी ने दिनांक 24.05.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2021 को हुई बैठक में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट से सम्बंधित

मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परियोजना एचएसआईआईडीसी द्वारा स्वयं कार्यान्वित की जाएगी।

- इसके अलावा, एनआईसीडीआईटी से अनुरोध किया गया है कि एनआईसीडीआईटी और एचएसआईआईडीसी के बीच संयुक्त उद्यम समझौते को समाप्त करने की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए कदम उठाए जाएं।

5. <u>उत्तर प्रदेश</u>

<u>ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट:</u>

- प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो चुकी है और एनआईसीडीआईटी और ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी के बीच "डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड" नाम से एसपीवी निगमित की गयी है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 617.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दे दी गई है;
- आईसीटी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन के लिए निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए है;
- शपूरजी पल्लोंजी को 426 करोड़ रुपए में विभिन्न प्रमुख अवसरंचना घटकों को कार्यान्वित करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है तथा प्रमुख कार्य मार्च, 2021 तक पूरा हो चुका है और अंतिम कार्य प्रगति पर है;
- जनवरी, 2018 में सीमंस को 121 करोड़ रुपए में साइट के भीतर के उर्जा वितरण कार्य को करने के लिए ईपीसी कांट्रेक्टर नियुक्त किया गया है;
- ट्रांसमिशन नेटवर्क से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कोरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) (156 करोड़ रुपए) को दिया गया है और क्रियान्वयन गतिविधियां प्रगति पर है;
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (123.4 एकड़) के साथ 5 आवेदकों को 153.89 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। 3 कंपनियों द्वारा निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां शुरु कर दी गई है;

ग्रेटर नोएडा के दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोरकी में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):

- सीसीईए द्वारा 30 दिसंबर, 2020 को परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।
- एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के लिए एसपीवी एमएमएलएच और एमएमटीएच परियोजना को भी कार्यान्वित करेगा;
- डीएफसीसीआईएल ने प्रोजेक्ट साईट को सम्पर्कता मुहैया कराने के लिए "सैद्धांतिक" सहमति दे दी है;
- एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- बोराकी में एमएमटीएच विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय और एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया गया है;
- 479 हेक्टेयर भूमि एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए आवश्यक कुल भूमि क्षेत्र में से 369 हेक्टेयर भूमि पहले से ही कब्जे में है और एलएआरआर अधिनियम के तहत राज्य सरकार/जीएनआईडीए द्वारा लगभग 84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके लिए धारा 11 अधिसूचना जारी की गई है। एमएमएलएच परियोजना के मामले में, डब्ल्यूडीएफसी स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक कुल भूमि में से लगभग 10 हेक्टेयर भूमि डीएफसीसीआईएल द्वारा रेलवे अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।
- एमएमटीएच परियोजना के लिए, भारतीय रेलवे के साथ रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 16 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और रेलवे यार्ड के विकास के लिये उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) द्वारा रेल अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।
- इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को डीएफसीसीआईएल के दादरी जंक्शन स्टेशन से प्रस्तावित एमएमएलएच तक रेल फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और निर्माण पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किया गया है।
- रेल साइडिंग के लिए डीपीआर को अंतिम रूप देने से संबंधित गतिविधियां चल रही हैं और 25 नवंबर, 2020 को डीएफसीसीआईएल ने ग्रेटर नोएडा में डीएफसी न्यू दादरी यार्ड को एमएमएलएच से जोड़ने के लिए सबसे पसंदीदा संरेखण विकल्प के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दे दिया है।
- एमएमएलएच/एमएमटीएच परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए टीओआर 19 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गया है।

- विभिन्न एजेंसियों के साथ कार्यों के समन्वय के लिए, एमएमटीएच परियोजना के लिए "सामान्य सलाहकार" के चयन के लिए निविदा दस्तावेज जारी किया गया है।
- एमएमएलएच के लिए, न्यू दादरी स्टेशन से एमएमएलएच साइट तक रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ईपीसी अनुबंध के लिए निविदा दिसंबर, 2021 तक जारी होने की संभावना है।

6. राजस्थान

खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थानः

- राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 2020 को सूचित किया है कि केबीएनआईआर की विकास योजना को विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 14 दिसंबर, 2020 को हुई बैठक के दौरान, राज्य सरकार द्वारा चरण -1 विकसित करने के लिए 658 हेक्टेयर भूमि (26 हेक्टेयर अधिग्रहित) की पुष्टि की गई है और शेष 632 हेक्टेयर भूमि जून, 2021 तक उपलब्ध कराई जाएगी।
- रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है
- अप्रैल, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईऐ) :

- राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 2020 को सूचित किया है कि जेपीएमआईऐ की विकास योजना को विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- 14 दिसंबर, 2020 को हुई बैठक के दौरान, राज्य सरकार द्वारा चरण -1 विकसित करने के लिए 1690 हेक्टेयर भूमि (1060 हेक्टेयर उपलब्ध) की पुष्टि की गई है और शेष 630 हेक्टेयर भूमि जून, 2021 तक उपलब्ध कराई जाएगी।
- रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।
- मार्च, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

स्मार्ट कम्यूनिटी प्रोजेक्ट:

क) मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान:

- 03 सितंबर, 2015 को 05 मैगावाट सोलर पॉवर प्लांट को शुरू किया गया है। एनवीवीएन लिमिटेड के साथ पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के अनुसार 8.77/- रुपए प्रति यूनिट के निर्धारित टैरिफ पर स्टेट ग्रिड (अर्थात 220 केवी जीएसएस नीमराणा) को बिजली वितरित की जा रही है ।
- इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर सैट के साथ सोलर पॉवर के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए भारत में प्रथम स्मार्ट माइक्रो-ग्रिड प्रोजेक्ट के रूप में 1 मैगा वॉट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट को किया गया है;
- 10 जुलाई, 2017 को प्लांट शुरू कर दिया गया था तथा शुरुआत में दो वर्ष की अवधि के लिए 1 मैगा वॉट क्षमता वाले माइक्रो-ग्रिड सोलर पॉवर सप्लाई प्रोजेक्ट से ऑफ ग्रिड हाईब्रिड पॉवर, मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईपीएल) को उपलब्ध कराई गई। एमआईपीएल मे संयंत्र को 20 फरवरी, 2020 को बंद कर दिया गया है।
- सोलर पॉवर की थर्ड पार्टी बिक्री के आधार पर ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलर पॉवर उपलब्ध कराने के लिए 12 फरवरी, 2020 को डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड (डीएनएसपीसीएल) और टोयडा गोसेई मिंडा प्रा. लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) के बीच पॉवर परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया।
- 1 जून, 2021 को सोलर पॉवर उत्पादन तथा ग्रिड द्वारा टीजीएमआईपीएल को बिजली आपूर्ति शुरू हो गयी है।

ख) लॉजिस्टिक डाटा बैंक प्रोजेक्ट:

- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड) विभिन्न एजेंसियों में कई सूचनाओं को एकीकृत करके, भारत में ऑनलाइन कंटेनर ट्रैकिंग प्रदान करता है और इसके बैकएंड पर आरएफआईडी तकनीकी सिस्टम के द्वारा सभी के लिए एक सामान्य दृश्यता मंच प्रदान करता है।
- परियोजना शुरू की गई है और 1 जुलाई, 2016 से जेएनपीटी पोर्ट के सभी टर्मिनलों पर सेवाएं शुरू हो गई हैं।
- सभी प्रमुख और कुछ छोटे बंदरगाहों पर अखिल भारतीय स्तर पर सेवा चालू है और अब तक 32 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग/डी-टैग किया जा चुका है।

- अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में वृद्धि के लिए नेपाल और बांग्लादेश तक आवाजाही के लिए भी सेवाओं का विस्तार किया गया है।
- नीति आयोग, एलडीबी के मौजूदा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) की अवधारणा विकसित कर रहा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अन्य परियोजनाएं:

नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी):

- प्रमुख अवसंरचना, दो प्रदर्शनी हॉलों एवं कन्वेंशन सेंटर वाले चरण-1 के साथ चरणबद्ध तरीके से परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा होने की संभावना है और तीन अन्य प्रदर्शनी हॉलों, रंगारंग कार्यक्रम स्थल (एरेना) के निर्माण और होटल, खुदरा तथा कार्यालय स्थलों जैसी पूरक अवसंरचना के वाणिज्यिक विकास वाले चरण-2 को चरण-1 पूरा होने के पश्चात् शुरु किया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। आईआईसीसी द्वारका में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं आकार एवं गुणवत्ता के अनुसार विश्व में सर्वोत्तम के समकक्ष होंगी, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम, बैठकें, कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनियों और ट्रेड शो आयोजन की पेशकश करती है। व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त इससे 5 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होने की आशा है।

- निम्नलिखित स्टेकहोल्डरों को एकत्रित किया गया है और वर्तमान में सभी परियोजना पर कार्य कर रहे हैः

    1) कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाताः एईकॉम इंडिया प्रा. लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम में एईकॉम एशिया प्रा. लिमिटेड.
    2) प्रारंभिक इंजीनियरी एवं वास्तुकला संबंधी परामर्शदाताः आईडीओएम एवं सीपीके
    3) ईपीसी ठेकेदारः एलएंडटी
    4) ट्रांजेक्शन परामर्शदाताः बीसीजी परामर्शदाता
    5) ऑपरेटरः कोरिया इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर एंड ईसेंग नेटवर्क कंपनी लिमिटेड (किनएक्सिन)

6) ऋण जुटाने के लिए वित्तीय परामर्शदाताः आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटिज लिमिटेड

7) थर्ड पार्टी क्वालिटी एंड ऑडिट (टीपीक्यूए) - नेशनल कौंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटिरियल्स (एनसीसीबीएम)

- साइट पर कार्यान्वयन गतिविधियां जोरों पर हैं और ईपीसी ठेकेदार द्वारा उत्खनन, पीसीसी और आरसीसी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। ईएसएस-1 और ईएसएस-2 (इलेक्ट्रिक सब स्टेशन) के सिविल कार्य पूरे हो गए हैं और विद्युत उपकरणों की स्थापना हेतु बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड) को साइट सौंप दी गयी हैं। डीजी भवन में सिविल कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है। डीजी भवन में 6 डीजी स्थापित किये गए हैं। इसके अलावा, कैंटिलीवर ट्रस को छोड़कर कन्वेंशन सेंटर में रूफ ट्रस इरेक्शन पूरा हो गया है जहां कार्य प्रगति पर हैं। वर्तमान में, प्रदर्शनी हॉल के लिए ट्रस और रूफ शीटिंग, लाइनर और कलजिप घटक (टॉप हैट ब्रैकेट) संस्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। सभी भवनों और भूमिगत सर्विस गैलरी के एमईपी कार्यों का निर्माण उत्तरोत्तर और एकसाथ किया जा रहा है। गलियारों में ट्रैवलेटर और एस्केलेटर लगाने का काम भी प्रगति पर है। 31 मार्च, 2021 को साइट पर ईपीसी कार्यों की समग्र संचयी भौतिक प्रगति 67.34 प्रतिशत है।

- इंडिया इंटरनेशनल एंड कन्वेंशन सेंटर के विकास के लिए 26 अक्टूबर 2018 को आईआईसीसी और एनआईसीडीसी के बीच नॉलेज पार्टनरशिप के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- आईआईसीसी द्वारका परियोजना को थोक बिजली आपूर्ति के लिए बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) और आईआईसीसी के बीच समझौता ज्ञापन क्रियान्वित किया गया है। ईएसएस 1 और 2 में जीआईएस उपकरण (बीएसईएस और ईपीसीसी) और एचटी और एलटी पैनलों की स्थापित करने के बाद, बीआरपीएल ने बिना लोड की शर्तो में इंटर-कनेक्टर और इन-फीड केबल सहित दोनों स्टेशन सक्रिय किए।

- एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को आईआईसीसी परियोजना तक विस्तारित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में, डीएमआरसी द्वारा प्रदर्शनी हॉल -3 के नीचे सुरंग निर्माण कार्य पूरा किया गया था और आगे के निर्माण कार्यों के लिए एलएंडटी को सौंप दिया गया था। इसके अलावा, आईआईसीसी द्वारका मेट्रो स्टेशन के लिए स्टेशन बॉक्स की संरचना पूरी हो चुकी है और डीएमआरसी द्वारा सिस्टम कार्यों का निष्पादन प्रगति पर है।

- आईआईसीसी ने एनएचएआई को एनएचएआई द्वारा विकसित की जाने वाली बाहरी कनेक्टिविटी के लिए 18.66 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु डीडीए को भुगतान के लिए 92.39 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

- एनएचएआई को सौंपा गया द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II (जिसमें आईआईसीसी परिसर तक सड़क संपर्क शामिल है) विकसित किए जाने का कार्य शुरू हो गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- डीडीए की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स (टीओडी) योजना के तहत आईआईसीसी परियोजना को शामिल करने का प्रस्ताव 24 फरवरी, 2021 को डीडीए-यूटीटीआईईसी को प्रस्तुत किया गया है तथा मामला विचाराधीन है।

<u>अन्य औद्योगिक गलियारेः</u>

क. चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (सीबीआईसी):

- समग्र गलियारे के लिए भावी योजना तैयार हो गई है और तीन नोड को विकसित किए जाने के लिए पहचाना गया है:
  i. कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेश;
  ii. तुमकुरु, कर्नाटक; और
  iii. पोन्नेरी, तमिलनाडु

i. कृष्णापट्टनम, आंध्र प्रदेशः

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित कर दिया गया है और 07 अगस्त, 2018 को 'एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड' के नाम से एसपीवी को निगमित किया गया है।
- एक्टिवेशन क्षेत्र (2500 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। संपूर्ण भूमि राज्य सरकार के कब्जे में हैं।
- परियोजना के लिए सीआरजेड मंजूरी सहित पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाधीन है।
- 30 दिसंबर, 2020 को सीसीईए द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी और प्रमुख अवसंरचना निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति के लिए ईपीसी निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट एसपीवी द्वारा जनवरी 2021 में पीएमसी को नियुक्त किया गया है।
- परियोजना एसपीवी को 1,814.51 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है और एनआईसीडीआईटी की 450.72 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी (2.50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक इक्विटी के अलावा) राशि भी जारी की गई है।

ii. तुमकुरु, कर्नाटकः

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित कर दिया गया है और 1 नवंबर, 2018 को 'सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड' के नाम से एसपीवी को निगमित किया गया है।
- एक्टिवेशन क्षेत्र (1736 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है। संपूर्ण भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है।
- पर्यावरण क्लीयरेंस संबंधी गतिविधियां जारी है।
- 30 दिसंबर, 2020 को सीसीईए द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी और फरवरी, 2021 में प्रमुख अवसंरचना निर्माण हेतु ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति के लिए ईपीसी निविदा जारी कर दी गई है।
- जनवरी, 2021 में प्रोजेक्ट एसपीवी द्वारा पीएमसी नियुक्त किया गया।
- परियोजना एसपीवी को 1,668.30 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है और एनआईसीडीआईटी की 584.24 करोड़ रुपये की समतुल्य इक्विटी (2.50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक इक्विटी के अलावा) राशि भी जारी की गई है।

iii.पोन्नेरी, तमिलनाडुः

- शेयरधारक समझौते (एसएचए) और स्टेस सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को 21 फरवरी, 2020 को निष्पादित किया गया है और 'सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड' प्रोजेक्ट एसपीवी निगमित किया गया;
- लगभग 3,375 एकड़ भूमि उपलब्ध है और पोन्नेरी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अधिसूचित की गई है। अंतिम स्थान निर्धारण पर राज्य सरकार से पुष्टि होना शेष है।
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य शुरू करने के लिए अक्तूबर, 2020 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

ख. सीबीआईसी का कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार:

क) एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को अपनी बैठक में कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी परियोजना के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। निम्नलिखित नोड्स को विकसित किए जाने के लिए पहचाना गया हैः

ख) पलक्कड़, केरल (1,878 एकड़) और कोच्चि ग्लोबल सिटी (500 एकड़):

- भूमि की पहचान और अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है;

- एस एचए/एसएसए 22 अक्टूबर, 2020 को क्रियान्वित किया गया है;
- अक्टूबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्य करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया।

ग) धर्मपुरी सेलम, तमिलनाडु (1,733 एकड़):

- भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है।
- अक्टूबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्य करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।

ग. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी) प्रोजेक्टः

- समग्र कोरिडोर के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है।
- आगे विकसित किए किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक (01) आईएमसी साइट निश्चित कर ली गई है। जिनके नाम निम्नलिखित हैः
  1. पंजाबः राजपुरा-पटियाला (1100 एकड़)
  2. हरियाणाः हिसार (1600 एकड़)
  3. उत्तराखंडः प्राग-खुरपिया फार्म (1002 एकड़)
  4. उत्तर प्रदेशः भौपुर (1059 एकड़) और प्रयागराज (1141 एकड़)
  5. बिहारः गमहरिया (1635 एकड़)
  6. झारखंड
  7. पश्चिम बंगालः रघुनाथपुर (2483 एकड़)

- 23 अगस्त, 2017 को आयोजित बैठक में एनआईसीडीआईटी ने समीक्षा की और यह निर्देश दिया कि परियोजना विकासात्मक गतिविधियां केवल उन स्थानों पर शुरु की जानी चाहिए जहां भूमि स्वामित्व में है और राज्य सरकार(रें) इसे एसपीवी को सौंपने की इच्छुक है।

i. रघुनाथपुर, पश्चिम बंगाल

- राज्य सरकार ने उपलब्ध भूमि पर पुष्टि कर दी है और शेयरधारक समझौते (एसएचए) और राज्य सहायता समझौते (एसएसए) पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा की जा रही है और उस पर पुष्टि की प्रतीक्षा है।
- लगभग 2,483 एकड़ भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है। विस्तृत मास्टर प्लानिंग पूरी कर ली गई है और परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी से संबंधित गतिविधियां अभी चल रही हैं।

- 18 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए विचारार्थ विषयों के अनुपालन पर विचार किया गया था। 24 मार्च, 2021 को राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ हितधारकों का परामर्श आयोजित किया गया था।
- 2483 एकड़ भूखंड पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कब्जे में है;
- विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों पूरी कर ली गई है।

ii. प्राग-खुरपिया फार्म्स, उत्तराखंड

- राज्य सरकार के साथ शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) एवं स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है;
- उत्तराखंड राज्य सरकार के स्वामित्व में लगभग 1002 एकड़ भूमि है।
- जनवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है।

iii. हिसार, हरियाणा

- हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि पूर्व में पहचानी गई साइट साहा के स्थान पर हिसार आईएमसी साइट को विकसित किया जा सकता है। भूमि (लगभग 1,600 एकड़) राज्य सरकार के अधिकार में है;
- फरवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है।

iv. राजपुरा-पटियाला, पंजाब

- राज्य सरकार ने फरवरी, 2021 में राजपुरा पटियाला (लगभग 1,100 एकड़) में भूमि की पुष्टि की है।
- फरवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है।

v. आगरा और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

- राज्य सरकार जनवरी ने 2021 में भाऊपुर में पहले से चिन्हित स्थल के स्थान पर आगरा (लगभग 1,059 एकड़) में भूमि की पुष्टि की है।
- एनआईसीडीसी द्वारा मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की गई है।

- इसके अलावा, राज्य सरकार ने प्रयागराज (1,141 एकड़) में साइट के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट को भी तैयार कर रहा है ताकि उस रिपोर्ट को एनआईसीडीआईटी को विचारार्थ के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

vi. **गमहरिया, बिहार**

- राज्य सरकार ने जनवरी, 2021 में गमहरिया, गया जिला में पहचाना गया स्थल के भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है।
- यह भी सूचित किया गया है कि भूमि 10-12 माह में उपलब्ध होगी।
- मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी परामर्शदाता नियुक्ति के लिए निविदा जारी कर दी गई है।

vii. **चतरा, झारखंड**

- राज्य सरकार ने जनवरी, 2021 में सूचित किया है कि पूर्ववर्ती साइट न्यू बहरी उपलब्ध नहीं है, इसलिए चतरा जिले में वैकल्पिक साइट की पहचान की जा रही है।
- वैकल्पिक साइट की भूमि ब्यौरो की पुष्टि की प्रतीक्षित है।

घ. बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी) प्रोजेक्टः

- परिप्रेक्ष्य योजना पूरी हो चुकी है और अनुमोदित है।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कब्जे में भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ आवश्यक कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को भी साझा करें।
- धारवाड़, कर्नाटक (6,400 एकड़)
  - राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में विकास के लिए प्राथमिकता नोड के रूप में धारवाड़ साइट की पहचान और पुष्टि की है।
  - विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता चयन हेतु निविदा दस्तावेज जारी कर दिया गया है।
- सतारा, महाराष्ट्र
  - महाराष्ट्र सरकार ने मार्च, 2021 में सतारा में लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि को प्राथमिकता नोड के रूप में विकसित करने की पुष्टि की।
  - परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरु की जा रही है।

ङ. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के चरण-1 के रूप में विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी)

- वीसीआईसी को दिसंबर, 2016 में एनआईसीडीआईटी के अधिदेश के भाग के रूप में शामिल किया गया था।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम (नाकापल्ली क्लस्टर) और चित्तूर (दक्षिण क्लस्टर) नोड्स के विकास को प्राथमिकता दी है और एनआईसीडीआईटी अधिदेश में विजाग चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को शामिल करने और विजाग और चित्तूर को विकसित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में वीसीआईसी के चरण-ए में विजाग और चित्तूर को प्राथमिकता वाले नोड के रूप में विकसित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बैठक में एनआईसीडीआईटी के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य में अतिरिक्त नोड के रूप में कडप्पा के कोप्पार्थी नोड को शामिल करने का अनुरोध किया है।
- राज्य सरकार से निकटवर्ती भूखंडों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक नोड को प्राथमिकता अनुरोध किया गया था, जो पहले से ही राज्य सरकार के कब्जे में है और जिसे प्रस्तावित एसपीवी को हस्तांतरित किया जा सकता है।
- तत्पश्चात्, राज्य सरकार ने औद्योगिक नोड विकसित करने के लिए कडप्पा तथा चित्तूर में भूमि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया है और तद्नुसार दोनो क्षेत्रों के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- विशाखापत्तनम (नाकापल्ली क्लस्टर), आंध्र प्रदेश (1,120 एकड़)
    - एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में 1,120 एकड़ का स्टार्ट-अप क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।
    - राज्य सरकार द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी गतिविधियां शुरु की जा रही है ।

- चित्तूर, आंध्र प्रदेश (8,967 एकड़)
    - 2,346 एकड़ भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है और जून, 2020 में राज्य सरकार से भूमि की उपलब्धता के संबंध में पुष्टि प्राप्त हुई है।

- नवंबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्य करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

- कोप्पार्थी, आंध्र प्रदेश (5,760 एकड़)
  - भूमि राज्य सरकार के कब्जे में है और जून, 2020 में राज्य सरकार से भूमि की उपलब्धता के संबंध में पुष्टि प्राप्त हुई है।
  - नवंबर 2020 में विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्य करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

च. हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी) और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी)

- हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए तेलंगाना सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, एनआईसीडीआईटी ने निर्देश दिया था कि "तेलंगाना सरकार को एक व्यवहार्यता अध्ययन करना चाहिए और परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करनी चाहिए"।
- तदनुसार, तेलंगाना सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन किया और हैदराबाद फार्मा सिटी एनआईएमजेड की पहचान हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरियर के हिस्से के रूप में की गई है। इसके अलावा, जहीराबाद की पहचान हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है।
- इस संबंध में 19 मार्च, 2020 को सचिव, डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी ।

- तदनुसार, हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे को शामिल करने के प्रस्ताव पर एनआईसीडीआईटी द्वारा 19 अगस्त, 2020 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
- जहीराबाद, तेलंगाना (12,635 एकड़):
  - चरण - I क्षेत्र 4,000 एकड़
  - तेलंगाना सरकार ने मास्टर प्लानिंग अध्ययन किया है और जहीराबाद को हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में पहचान भी की गई है
  - परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से संबंधित गतिविधियां प्रगति पर हैं
  - राज्य सरकार द्वारा डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे एनआईसीडीआईटी के विचार के लिए रखा जाएगा।
- हैदराबाद, तेलंगाना (19,333 एकड़):
  - लगभग 8,000 एकड़ का चरण-1 क्षेत्र राज्य सरकार के कब्जे में है।

- तेलंगाना सरकार ने मास्टर प्लानिंग अध्ययन किया है और हैदराबाद फार्मा सिटी की पहचान हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
- राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इसे एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ हेतू प्रस्तुत करे।

छ. <u>हैदराबाद बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी):</u>

- हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए हाल ही में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्नलिखित नोड्स के विकास का प्रस्ताव दिया गया था:
    - हिन्दुपुर (अनंतपुर जिला)
    - ओरवकल (कुरनूल जिला) और
    - कोप्पार्थी (डा. वाईएसआर कडप्पा जिला)
- तदनुसार 19 मार्च, 2020 को सचिव, डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर की स्थिति की समीक्षा की गई थी।
- विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की राज्य सरकारें शुरू में आपस में चर्चा करेंगी और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कार्यान्वयन के संबंध में एनआईसीडीसी को अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से एचबीआईसी के लिए समर्थन और भूमि विवरण प्राप्त हुए थे और एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के तहत एचबीआईसी को शामिल करने के प्रस्ताव पर एनआईसीडीआईटी द्वारा 19 अगस्त, 2020 को हुई अपनी बैठक में विचार और अनुमोदन दिया गया था।
- आंध्र प्रदेश सरकार के कब्जे में लगभग 9,800 एकड़ भूमि है और तदनुसार, जनवरी 2021 में ओरवकल नोड के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए समय सीमा के साथ कडेचुरु, यादगीर जिले में प्रस्तावित साइट (लगभग 3,300 एकड़) का भूमि विवरण प्रदान करें।

ज. ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी)

- ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर के लिए, एशिया विकास बैंक द्वारा अवधारणा विकास योजना (सीडीपी) को अंतिम रूप दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले दो नोड जो कि गोपालपुर, भुवनेश्वर कलिंगनगर (जीबीके नोड) और पारादीप-केंद्रपाड़ा-धामरा-सुवर्णरेखा (पीकेडीएस नोड) जिसमें कुल 11,366 एकड़ क्षेत्र शामिल हैं।
- एनआईसीडीआईटी द्वारा 19 अगस्त, 2020 की अपनी बैठक में एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के भाग के रूप में ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
- ओईसी के अंतर्गत दो नोड के विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी संबंधी कार्य के लिए मार्च, 2021 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

झ. दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)

- दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने पर विचार किया जा रहा है तथा संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के साथ-साथ आगे विचार-विमर्श के बाद परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू किया जाएगा।

<u>प्रस्तावित पहलकदमियां - नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी)</u>

योजना को एक अवार्ड

- विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ बेहतर सहक्रिया के लिए शुरु की जा रही विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मौजूदा/योजनाबद्ध गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए बीआईएसएजी-एन की सहायता के साथ एनआईसीडीसी द्वारा एक नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) द्वारा सभी मौजूदा और प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए व्यापक योजना विकसित की गई है।

- यह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और सभी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों को समग्र रूप से एकीकृत करने के उद्देश्य और जनता, माल एवं सेवाओं के निर्बाध आवागमन के लिए लापता कमियों को दूर करने के लिए उन्हें समर्थन देने के लिए आवश्यक अवसंरचना लिंकेज को चित्रित करेगा। राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुसार अवसंरचना विकास के लिए बाधाओं को कम करना, लागत दक्षता के साथ कार्यों को शीघ्र पूरा करके सुनिश्चित करना।

- नेशनल मास्टर प्लान में, सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तीन समय की अवधि अर्थात् 2014-15 की स्थिति, 2020-21 तक की गई उपलब्धियां और 2024-25 तक नियोजित हस्तक्षेप, एक ही प्लेटफॉर्म में मैप किया जाएगा।

- व्यापक नक्शा देश भर में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों, अवसंरचनाओं और उपयोगिताओं की पूरा होने की समय-सीमा के आधार पर प्रमुख परतों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास का एक विहंगम दृश्य प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय 'भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइनफॉरमैटिक्स' द्वारा राष्ट्रीय मास्टर प्लान विकसित किया जा रहा है। मास्टर प्लान गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एक प्लेटफॉर्म में तैयार किया जा रहा है जहां पर सभी मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट कार्य योजना पर डेटा एक व्यापक डेटाबेस में शामिल किया जाएगा।

- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, लोजिस्टिक्स विभाग को आगे विकसित तथा निगरानी के उद्देश्य से संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वय में राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आगे बढ़ाना।

डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट शहरों के लिए पुरस्कार और सम्मान

धौलेरा स्मार्ट सिटी:

1. जियोस्पेटियल एक्सीलेंस अवार्ड, मार्च, 2016
2. बेंटले "बी इन्सपायर्ड", मार्च, 2016
3. आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग "प्लेटिनम", सितंबर, 2016
4. बेस्ट सिटी फॉर इंटीग्रेटिड प्लानिंग, फरवरी, 2017
5. बेस्ट ग्रीन सिटी, फरवरी, 2017
6. बेस्ट इनोवेटिव ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, फरवरी, 2019

औरिक स्मार्ट सिटी:

1. औरिक हॉल - सर्वश्रेष्ठ कार्यालय भवन और सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर के लिए टाइम्स नेशनल अवार्ड, 2017;
2. 2018 नेशनल सेफ्टी कौंसिल अवसंरचना प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्थान 3.2 मिलियन सेफ मेनऑवर;
3. ई-लैंड मैनेजमेंट प्रणाली के लिए 2018 स्कॉच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट अवार्ड;
4. टेक्नोलोजी मेरिट: स्मार्ट सिटी के लिए सैन फ्रांसिसको में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नवाचारों के लिए 11 ईबीजे/सीसीबीजे अवार्ड
5. **टेक्नोलोजी मेरिट: स्मार्ट सिटी:** औरिक (औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी) को भविष्य की एक

स्मार्ट, हरित औद्योगिक शहर में बदलने के लिए विस्तारित औरंगाबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एकीकृत स्मार्ट प्रौद्योगिकियां और अगली पीढ़ी की अवसंरचना।

विपणन और प्रचार

- एक उद्योग विशिष्ट केंद्र बिंदु के रूप में भूखंडों का आबंटन करने के लिए व्यापक विपणन प्रयास किए जा रहे है। अविकसित भूखंडों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों/डेवलेपरों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रयास के संबंध में संभावनाएं तलाशी जा रही है, ताकि सरकारी योगदान घटाया जा सके।

- विपणन गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन पहलों का प्राथमिक उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, समृद्धि वाली वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर, एलईडी आदि, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक वाहन और इसके उपकरणों, स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों आदि जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'ब्रांड निर्माण' और 'निवेशक जुड़ाव' पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख क्षेत्र वे हैं जहां भारत सरकार ने हाल ही में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की है। मुख्य लक्ष्य उन कंपनियों का दोहन करना है जो भारत सरकार की पीएलआई योजना का लाभ उठाने की योजना बना रही हैं और पूर्ण प्लग-एन-प्ले बुनियादी ढांचे के साथ विकसित भूखंडों की तलाश कर रही हैं।

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) जैसी एजेंसियों के साथ भी चर्चा चल रही है ताकि अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र में उनके निवेश अनुभव का लाभ उठाते हुए उनकी वैश्विक पहुंच, मजबूत संबंधों और संभावित प्रमुख निवेशकों को एक डेवलपर-आधारित मॉडल के साथ-साथ सीधे विनिर्माण क्षेत्र में आकर्षित करने की क्षमता का लाभ उठाया जा सके। एडीबी और आईएफसी के ट्रांजेक्शन एडवाइजरी समर्थन के रूप में, विभिन्न एसपीवी की आवश्यक क्षमता निर्माण सहित हितधारकों के साथ परामर्श, गोलमेज सम्मेलन आदि सहित विभिन्न विपणन गतिविधियां भी की जाएंगी।

- एसपीवी वर्तमान में उद्योगों को रियायती शर्तों पर भूमि आवंटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार कर रहे हैं। एसपीवी फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड पार्क आदि इन क्षेत्रों के उद्योगों से निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड पार्क आदि में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं।

- विपणन पहल के हिस्से के रूप में, निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की गई हैं:

    - एनआईसीडीसी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है और विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरों में नवीनतम अपडेट के बारे में संबंधित हितधारकों के साथ नियमित संपर्क में है।
    - औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर एयरपोर्ट ट्रांसलाइट के रूप में आउट ऑफ होम डिजिटल अभियान चल रहा था। अभियान को विभिन्न लक्षित दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
    - विभिन्न व्यापार निकायों, वाणिज्य मंडलों और शीर्ष उद्योग संघों द्वारा आयोजित किए जा रहे शिखर सम्मेलनों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भागीदारी के माध्यम से निवेशकों के साथ नियमित रूप से संवाद किया जा रहा है।
    - औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं में निवेश के लिए व्यावसायिक मामले की व्याख्या करते हुए विभिन्न औद्योगिक घरानों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यावसायिक बैठकें।
    - औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए वर्चुअली माध्यम से विभिन्न देशों के उच्च-शक्ति वाले व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ इन्वेस्टर राऊंड टेबल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।
    - वैश्विक समूह और प्रमुख बाजार के खिलाड़ियों के लिए औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं में उपलब्ध विनिर्माण अवसरों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों की निवेश सुविधा एजेंसियों के साथ कार्यशालाएं।
    - भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जा रही है, जहां उन कंपनियों को लक्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है जो विकसित भूखंडों की तलाश में हैं।

- संपूर्ण उद्देश्य मांग के आगे गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना तैयार करना और तत्काल आवंटन के लिए विकसित भूखंडों तैयार रखना है ताकि विनिर्माण में निवेश आकर्षित किया जा सके और इस प्रकार भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाया जा सके।

वित्तीय परिणाम निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, ट्रस्ट के मेन कोष और अतिरिक्त कोष के लिए भारत सरकार

द्वारा क्रमश: 2,559.90 करोड़ रुपए और 40.10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रस्ट का वित्तीय निष्कर्ष निम्नानुसार है:

(करोड़ रू. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21 (बिना लेखापरीक्षित)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (लेखा परीक्षित)
कोष/पूंजी निधि	8213.77	5655.90
स्थायी परिसंपत्तियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवेश	7526.85	5199.61
चालू परिसंपत्तियां	686.98	456.37
चिन्हित निधि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चालू दायिताएं	0.05	0.08
गैर-चालू दायिताएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सकल आय	26.59	25.74
व्यय पर आय का आधिक्य/(कमी)	2.97	15.85

लेखापरीक्षक

ट्रस्ट डीड के परिच्छेद 13 के अनुसार, एनआईसीडीआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन है।

भारत के राष्ट्रपति ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सीएंडएजी को एनआईसीडीआईटी की लेखा परीक्षा का कार्यभार सौंपा है।

वर्ष के दौरान, सीएंडएजी लेखा परीक्षा टीम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा और ट्रांजेक्शन ऑडिट की है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

वर्ष 2020-21 के दौरान एनआईसीडीआईटी में कोई कर्मचारी नहीं था। एनआईसीडीसी लिमिटेड, नॉलेज पार्टनर होने के नाते एनआईसीडीआईटी को सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

ट्रस्ट डीड के परिच्छेट 8.5 के अनुसार, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में और एनआईसीडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

एनआईसीडीआईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

आभार

ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी ट्रस्टियों को ट्रस्ट में उनके निरंतर समर्थन, सहयोग और योगदान के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट
एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No. PDA/Infra/IHQ-I/28-63/20-21/NICDIT 142

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 20.9.2021.

सेवा में ,

सचिव,भारत सरकार ,
वाणिज्य एवं उधोग मत्रालय,
उधोग भवन,
नई दिल्ली

विषय- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखो की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

हस्ता0
(रिना अकोइजम)
महानिदेशक

संलग्नः यथोपरि

संख्याः-

दिनाँकः- 20. 9.2021

प्रतिलिपिः-

1. CEO & Member Secretary, 8 फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

(रिना अकोइजम)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) जिसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के दिनांक 1 सितंबर, 2014 के पत्र सं. 1 (27)-बी(आर)/2013 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलिमेंटेशन ट्रस्ट (ट्रस्ट) के संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण ट्रस्ट के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों के साथ अनुरूपता और प्रकटन शर्तों आदि साथ के संबंध में केवल लेखांकन उपचारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्निहित है। कानूनों का अनुपालन, नियम एवं नियामन (औचित्य और नियमितता) और कुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा पृथक रूप से सूचित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का नियोजन तथा प्रदर्शन इस तरह करे कि ये वित्तीय विवरण किसी भी भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हो। किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थ करने वाले साक्ष्यों को जांच आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

   (ii) इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाए गए हैं।

   (iii) हमारे अभिमत में, 27 सितंबर, 2012 की न्यास विलेख की उपधारा 13.1 के अंतर्गत जैसी अपेक्षा की गई है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों को उचित रूप से रखा गया है, जैसा इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सहायता अनुदान

प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत सहायता अनुदान की स्थिति (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार) निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु)**	**प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (परियोजना विकास गतिविधियों को करने के लिए)**
अथशेष (01.04.2020)	174.66	5.05
जोड़ेः 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान	2559.90	40.10
जोड़ेः (क) 2020-21 के दौरान अर्जित ब्याज और लाभांश (जमा पर ब्याज, बचत खातों पर ब्याज और आयकर रिफंड पर ब्याज सहित)	5.01	0.15
(ख) आय कर रिफंड	6.23	0.98
कुल उपलब्ध धनराशि	**2745.80**	**46.28**
घटाएः उपयोग की गई धनराशि	2378.88	45.10
31.03.2021 को इतिशेष	366.92	1.18

ख. प्रबंधन पत्र

कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी एक प्रबंधन पत्र द्वारा सीईओ एवं सदस्य सचिव के ध्यान में लाया गया है।

(v) हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में देखे गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

(vi) हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उल्लिखित वित्तीय विवरण जिन्हें लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट के साथ पढ़ा जाए, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं;

(क) जहां तक कि, यह 31 मार्च, 2021 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है और

(ख) जहां तक कि, यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितंबर, 2021

(रिना अकोइजम)
लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (अवसंरचना)
नई दिल्ली

अनुलग्नक

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए)

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
   वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एक चार्टर्ड एकाऊंटेंसी फर्म द्वारा की गई है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   ट्रस्ट के पास कोई स्थायी परिसंपत्ति नहीं है।

4. **स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   ट्रस्ट के पास कोई स्टॉक नहीं है।

5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**
   ट्रस्ट आमतौर पर सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमित है।

दिनांक: 20 सितम्बर, 2021

सेवा में,

सीईओ एवं सदस्य, सचिव,

8वां तल, जीवन भारती भवन,

124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली-11001.

विषयः प्रबंधन पत्र - वर्ष 2020-21 के लिए एनआईसीडीआईटी के लेखों में पाई गई खामियां।

महोदय,

कृपया मेरे कार्यालय के दिनांक 20 सितंबर, 2021 के पत्र सं. पीडीए/इंफ्रा/आईएचक्यू-आई/28-63/20-21 का संदर्भ ले जिसके द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईसीडीआईटी के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान, निम्न उल्लिखित खामी पाई गई थी जिसे पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। बहरहाल, इस विषय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता हैः

1. लेखांकन नीति 7 के अनुसार, 26 जुलाई, 2016 से प्रभावी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पीआईएफ) में से विभिन्न परियोजनाओं को ट्रस्ट द्वारा जारी निधि के 1 प्रतिशत (एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की आधिकतम सीमा के अध्यधीन) की दर से एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी के रूप में पहचाने जाने वाली) द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सर्विस फीस प्रोद् भवन आधार पर स्वीकारा गया है। बहरहाल, वर्ष 2020-21 के दौरान सर्विस फीस 23.60 करोड़ रुपए निर्धारित की गई और इसलिए लेखांकन नीति को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

भवदीया

हस्ता.

(रिना अकोइजम)

महानिदेशक

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र

31 मार्च, 2021 को

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2020-21	2019-20
कोष/ पूंजी निधि और देयताएं			
कोष/पूंजी निधि	1	82,13,77,34,610	56,55,90,34,039
आरक्षित और अधिशेष	-	-	-
चिन्हित/ बंदोबस्त निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	2	5,44,339	7,57,116
जोड़		**82,13,82,78,949**	**56,55,97,91,155**
परिसंपतियां			
स्थायी परिसंपतियां	-	-	-
निवेश	3	75,26,84,77,541	51,99,60,65,101
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	6,86,98,01,408	4,56,37,26,054
जोड़		**82,13,82,78,949**	**56,55,97,91,155**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.
(गिरिधर अरमाने)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय और व्यय लेखा
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2020-21	2019-20
आय			
अर्जित ब्याज	5	25,86,71,340	25,73,67,649
अन्य आय	6	72,28,271	-
जोड़ (क)		**26,58,99,611**	**25,73,67,649**
व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय	7	23,61,99,040	9,89,16,473
जोड़ (ख)		**23,61,99,040**	**9,89,16,473**
आय का व्यय पर आधिक्य के बाद शेष (क-ख)		2,97,00,571	15,84,51,176
अतिरिक्त कोष को अंतरित		19,00,889	77,890
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतिरत		-	-
अधिशेष/(कमी) होने के कारण मुख्य कोष/ पूंजी निधि में अग्रेषित		**2,77,99,682**	**15,83,73,286**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	8		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट	9		

उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अंतर्निहित भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.
(गिरिधर अरमाने)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जुलाई, 2021

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

प्राप्ति और भुगतान

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

प्राप्ति	2020-21	2019-20	भुगतान	2020-21	2019-20
I. अपशेष			I. व्यय		
क) रोकड़ शेष	-	-	अन्य प्रशासनिक व्यय	23,66,25,844	9,87,31,467
ख) बैंक शेष					
i) बचत खाते में	79,221	1,03,179	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान		
ii) जमा खातों में	1,79,69,68,241	1,01,39,65,390	क) मुख्य निधि से		
			निम्न को जारी ऋण:		
II. प्राप्त अनुदान			i) डीएमआईसी विकास उद्योगपुरी लिमिटेड	28,00,00,000	50,00,00,000
क) मुख्य निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त	25,59,90,00,000	8,95,00,00,000	ख) अतिरिक्त निधि में से		
			- एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान		
ख) अतिरिक्त निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त			i) एनआईसीडीसी लिमिटेड	45,10,00,000	50,00,00,000
परियोजना विकास गतिविधियां	40,00,00,000	55,00,00,000			
स्वच्छता कार्य योजना	10,00,000	-			
			III. निम्न में से किया गया निवेश और निक्षेप		
III. निम्न के निवेशों पर आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)			क) मुख्य निधि में से	23,44,39,12,440	7,78,00,40,000
क) मुख्य निधि	-	-	ख) अतिरिक्त निधि में से	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	-	-			
			IV. स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
IV. प्राप्त ब्याज				-	-
क) बैंक जमाओं पर (टीडीएस के बाद)	2,66,72,696	6,19,53,817			
ख) बचत खातों पर	1,78,09,237	16,70,150	V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर (टीडीएस के बाद)	-	56,26,393			
			VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)	-	-
V. अन्य आय (अनुसूची 6 के संदर्भ में)					
क) मुख्य निधि	60,87,073	-	VII. अन्य भुगतान	-	-
ख) अतिरिक्त निधि	11,41,198	-			
			VIII. इति शेष		
VI. उधार ली गई राशि	-	-	क) रोकड़ शेष	-	-
			ख) बैंक शेष		
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			i) बचत खातों में	34,03,604	79,221
निम्न द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान:			ii) जमा खातों में	3,67,75,99,846	1,79,69,68,241
(i) एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड	-	2,50,00,000			
(ii) एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेस लिमिटेड	-	6,75,00,000			
(iii) आयकर रिफंड	7,20,75,976	-			
(iv) आईआईसीसी लिमिटेड के लिए वहन किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति	2,08,092	-			
(v) इक्विटी अंतरण	17,15,00,000	-			
जोड़	**28,09,25,41,734**	**10,67,58,18,929**	जोड़	**28,09,25,41,734**	**10,67,58,18,929**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)

सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(गिरिधर अरमाने)

अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14 जुलाई, 2021

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च, 2021 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2020-21	2019-20
अनुसूची 1: कोष/पूंजी निधि			
1.0. मुख्य कोष/पूंजी निधि			
वर्ष की शुरूआत में शेष		56,49,88,29,965	47,39,04,56,679
जोड़े: कोष/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अंशदान		25,59,90,00,000	8,95,00,00,000
जोड़े/(घटाएं): आय एवं व्यय लेखों से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष		2,77,99,682	15,83,73,286
वर्ष के अंत में शेष (क)		**82,12,56,29,647**	**56,49,88,29,965**
1.1. एनआईसीडीसी लिमिटेड के लिए अतिरिक्त कोष (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)			
वर्ष की शुरूआत में शेष		3,82,74,25,787	3,27,74,25,787
जोड़ें: अतिरिक्त कोष/पूंजी निधि के लिए अंशदान			
- परियोजना विकास गतिविधियां		40,00,00,000	55,00,00,000
- स्वच्छता कार्य योजना		10,00,000	-
	(अ)	4,22,84,25,787	3,82,74,25,787
जोड़े: आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का शेष			
- पिछले वर्षों के दौरान		38,15,05,287	38,14,27,397
- चालू वर्ष के दौरान		19,00,889	77,890
	(आ)	38,34,06,176	38,15,05,287
घटाएः एनआईसीडीसी लिमिटेड को जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोग की गई राशि (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित)			
- पिछले वर्षों के दौरान		4,14,87,27,000	3,64,87,27,000
- चालू वर्ष के दौरान		45,10,00,000	50,00,00,000
	(इ)	4,59,97,27,000	4,14,87,27,000
वर्ष के अंत में शेष [ख = (अ) + (आ) - (इ)]		**1,21,04,963**	**6,02,04,074**
सकल जोड़ (क+ख)		**82,13,77,34,610**	**56,55,90,34,039**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2020-21	2019-20
अनुसूची 2 : चालू देयताएं और प्रावधान			
2.0. चालू देयताएं			
1. विविध लेनदार:			
(क) माल के लिए		-	-
(ख) अन्य		1,36,475	1,43,616
2. सांविधिक देयताएं			
(क) अन्य			
- स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)		7,125	8,500
	(क)	1,43,600	1,52,116
2.1. प्रावधान			
1. अन्य			
(क) लेखा परीक्षा फीस के लिए प्रावधान			
- चालू वर्ष		1,70,000	1,70,000
- पिछले वर्ष		2,30,739	4,35,000
	(ख)	4,00,739	6,05,000
जोड़ (क + ख)		**5,44,339**	**7,57,116**
अनुसूची 3 : निवेश			
1. चिन्हित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश		-	-
2. निवेश - अन्य			
(क) शेयर			
निम्न के इक्विटी शेयरों में निवेश:			
- डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कंपनी लिमिटेड		-	17,15,00,000
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		55,93,00,000	55,93,00,000
- इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		30,00,00,00,000	22,52,70,00,000
- धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेव. लिमिटेड		25,51,94,08,351	19,95,54,08,351
- एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड		4,01,98,000	4,01,98,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड		5,00,00,000	5,00,00,000
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड		2,08,05,41,750	2,04,82,58,750
- धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड*		24,24,00,000	24,24,00,000
- सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		5,86,73,86,600	2,50,00,000
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड		4,53,22,42,840	2,50,00,000
- सीबीआईसी पोन्नेरी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड		2,50,00,000	-
(ख) अन्य			
- एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए मैसर्स एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) को जारी निधियां (अनुसूची-9 का संदर्भ नोट सं. 3)		13,00,00,000	13,00,00,000
जोड़		**75,26,84,77,541**	**51,99,60,65,101**

* एनआईसीडीआईटी की दूसरी बैठक दिनांक 23 अगस्त 2017 में, निदेशक मंडल ने शेयरहोल्डर एग्रीमेंट के उप-नियम 9.2 के प्रावधानों के अनुसार एनआईसीडीआईटी द्वारा रखी डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड की 49 प्रतिशत इक्विटी को राज्य सरकार को अंतरण हेतु अनुमोदन दिया। इक्विटी का अंतरण दिनांक 14 सितंबर, 2020 को हुआ।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2021 को

(राशि रुपए में)

विवरण		2020-21	2019-20
अनुसूची 4 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि			
4.0. चालू परिसंपत्तियां:			
1. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष:			
(क) जमा खातों में			
- मुख्य कोष		3,66,58,37,499	1,74,65,46,460
- अतिरिक्त कोष		1,17,62,347	5,04,21,781
(ख) बचत खातों में			
- मुख्य कोष		33,53,323	25,524
- अतिरिक्त कोष		50,281	53,697
	(क)	**3,68,10,03,450**	**1,79,70,47,462**
4.1. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां:			
1. निम्न को ऋण और अग्रिम:			
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		2,60,54,00,000	2,32,54,00,000
2. बैंकों के पास जमाओं पर अर्जित ब्याज:			
मुख्य कोष		9,95,161	47,30,209
अतिरिक्त कोष		3,15,120	6,625
3. निम्न से ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं: डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		53,83,54,025	33,88,72,491
4. अन्य:			
स्रोत पर काटा गया कर			
- मुख्य कोष		4,36,68,120	8,78,64,915
- अतिरिक्त कोष		59,596	98,04,352
- पूर्वदत्त व्यय		5,936	-
	(ख)	**3,18,87,97,958**	**2,76,66,78,592**
जोड़ (क + ख)		**6,86,98,01,408**	**4,56,37,26,054**

* ऋण अनुबंध के उप-नियम 5.1 के अनुसार, एसपीवी को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज 7 जुलाई, 2015 की परियोजना शुरु होने की तिथि से 10 वर्ष की अधिस्थगन अवधि पूरा होने के पश्चात् ही प्राप्त होगा।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 5 : अर्जित ब्याज		
(1.) अवधि जमाओं पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कोष	2,44,53,725	6,90,10,976
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 19,03,797/-		
(पिछले वर्ष - ₹ 69,24,635/-)]		
(ख) अतिरिक्त कोष	7,52,665	31,436
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 56,451/-		
(पिछले वर्ष - ₹ 3,145/-)]		
(2.) बचत खातों पर (अनुसूचित बैंक के पास):		
(क) मुख्य कोष	1,78,02,212	16,23,696
(ख) अतिरिक्त कोष	7,026	46,454
(3.) ऋण पर:	21,56,55,712	18,66,55,087
[चालू वर्ष के लिए टीडीएस - ₹ 1,61,74,178/-		
पिछले वर्ष - ₹ 1,86,65,510/-)]		
जोड़	**25,86,71,340**	**25,73,67,649**
अनुसूची 6: अन्य आय		
(1.) आयकर रिफंड पर ब्याज		
(क) मुख्य कोष	60,87,073	-
(ख) अतिरिक्त कोष	11,41,198	-
(2.) लाभांश आय	-	-
जोड़	**72,28,271**	**-**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट

(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

आय एवं व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपए में)

विवरण	2020-21	2019-20
अनुसूची 7 : अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) सर्विस फीस	23,60,00,000	9,77,04,472
ख) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक		
- चालू वर्ष	1,70,000	1,70,000
- पिछले वर्ष	53,534	-
ग) विज्ञापन व्यय*	(2,25,277)	-
घ) फाइलिंग फीस पर व्यय	-	166
ङ) पेशेवर और परामर्श फीस	1,18,590	1,19,108
च) बैठक और कांफ्रेंस व्यय	18,712	21,049
छ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	58,346	3,33,772
ज) शेयर अभौतिकीकरण व्यय	5,053	5,54,427
झ) अन्य		
- विविध व्यय	82	13,479
जोड़	**23,61,99,040**	**9,89,16,473**

* भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के अनुपालन में एनआईसीडीसी लिमिटेड की ओर से वहन किए गए विज्ञापन व्यय को वापिस तथा संबंधितों से वसूला गया है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों के भाग बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखाकन नीतिया

1.0 लेखांकन परंपरा

वितीय विवरणों को जब तक अन्यथा न कहा जाए ऐतिहासिक लागत और लेखांकन की प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया गया है।

2.0 दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अभिग्रहण की प्रासंगिक लागत सहित वास्तविक लागत पर प्रदर्शित किया गया है।

3.0 स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपतियों को मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर प्रदर्शित किया गया है;

3.2 अभिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपतियां उपयोग के लिए तैयार न हो जैसा प्रबंधन द्वारा अपेक्षा की गई है;

3.3 स्थायी परिसंपतियों से संबंधित उत्तरवर्ती व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इन परिसंपतियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ ट्रस्ट को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। वहन की गई मरम्मत और अनुरक्षण लागत को आय और व्यय लेखा में प्रदर्शित किया जाता है;

3.4 मूल्यह्रास को ह्रासित मूल्य प्रणाली (डब्ल्यूडीवी) पर मूल्यह्रास की जाने वाली राशि तक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास परिसंपतियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

4.0 सरकारी अनुदान

4.1 ट्रस्ट निम्न के लिए भारत सरकार से पृथक रूप से गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान प्राप्त करता है:

(i.) ट्रस्ट के मुख्य कोष के लिए "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन" को "कोष/पूंजी निधि" के अंतर्गत "मुख्य कोष" में दर्शाया गया है; और

(ii.) परियोजना विकासात्मक गतिविधियों और स्वच्छता कार्य योजना को करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) को दिए जाने वाले चिह्नित "सामान्य" को "कोष/पूंजी निधि" के अंतर्गत "अतिरिक्त कोष" के रूप में दर्शाया गया है।

यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों के अनुसार किया गया है।

4.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

5.0 राजस्व स्वीकरण

5.1 आय को प्रोद्भवन आधार पर स्वीकारा जाता है।

5.2 "मुख्य कोष" और "अतिरिक्त कोष" की अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज को इन संबंधित शीर्षों के अंतर्गत विशेष रूप में दर्शाया जाता है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार किया गया है।

अनुसूची 8 : महत्वपूर्ण लेखाकन नीतिया

6.0 अन्य प्रशासनिक व्यय

अन्य प्रशासनिक व्ययों को "मुख्य कोष/पूंजी निधि" के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान की अधिशेष निधि पर ब्याज आय से पूरा किया जाता है।

7.0 सेवा फीस

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रुप में विदित) द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सर्विस फीस को 26 जुलाई, 2016 से प्रभावी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड (पीआईएफ) में विभिन्न परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया जाता है।

8.0 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में व्यय को लेन-देन की तिथि पर विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर लेखाबद्ध किया जाता है और विदेशी मुद्राओं में आय इन मुद्राओं से वसूली गई कीमत पर लेखाबद्ध की जाती है।

9.0 लीज

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान सभी जोखिमों और स्वामित्व के लाभों को अपने पास रखता है। लीज अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिचालन लीज के भुगतान को प्रोद्भवन आधार पर आय और व्यय विवरण में व्यय के रूप में स्वीकारा जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

1.0 न्यास विलेख के निष्पादन द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2012 को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड) का गठन किया गया था।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने मौजूदा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के साथ अन्य इंडस्ट्रियल कोरिडोरों यथा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी), बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी), चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और इसका कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार (30 अगस्त 2019 को आयोजित अपनी 4वीं बैठक मे एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित) और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल करिडोर (ईसीआईसी) के अंतर्गत विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) परियोजना को शामिल करने के लिए ट्रस्ट के अधिदेश का विस्तार करने और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:नामित करने के लिए दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को भारत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन को दिनांक 22.12.2016 के आदेश सं. 11/1/2016 द्वारा सूचित किया था ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर, औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत 4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं वाले 11 औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। इन 11 औद्योगिक परियोजनाओं में से 5 को पहले ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

2.0 15 सितंबर, 2011 को भारत सरकार से अनुमोदित वित्तीय और संस्थानिक संरचना के अनुसार दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में भारत सरकार, औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 2011-12 में शुरू होकर अगले पांच वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान देगी। परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करने और परियोजना विशिष्ट एसपीवी के निर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों की सीमा में प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी वाली सेक्टोरल होल्डिंग कंपनियों के निर्माण हेतु अगले पांच वर्षों में सहायता अनुदान के रूप में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्व में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से विदित) को देने के लिए ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष दिया जाएगा।

भारत सरकार ने 07 दिसंबर, 2016 को अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 तक की विस्तारित अवधि में 1584 करोड़ रुपए (अर्थात अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए 1500 करोड़ रुपए और एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय के लिए 84 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त स्वीकृति सहित उपर्युक्त अनुमोदित वित्तीय सहायता उपयोग करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है।

वर्ष के दौरान, मुख्य कोष/पूंजी निधि में 2559.90 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 895 करोड़ रुपए की राशि) और अतिरिक्त कोष के लिए 40.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 55 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त की गई थी।

भारत सरकार के योगदान को परिक्रामी कोष निधि के रूप में उपयोग किया जाएगा।

3.0 आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) ने 6.00 मेगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश हेतु अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली "एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड" नामक एसपीवी को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य कोष /पूंजी निधि में से एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस तरह के निवेश में वृद्धि एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आ जाएगी। जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की कोष निधि से घटा दी गई थी।

लेन-देनों के प्रकटन के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडऐजी) के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ परामर्श समिति के मतानुसार, ट्रस्ट की मुख्य कोष /पूंजी निधि से घटाई गई राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुन: जोड़ा गया था।

तदनुरूप प्रकटन "निवेश" शीर्ष के अंतर्गत किया गया था।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

4.0 कर्मचारी हितलाभ

ट्रस्ट के पास कोई कर्मचारी नहीं है। रिटायरमेंट सहित कर्मचारी हितलाभ के मद में देयता का प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

5.0 आकस्मिक देयताएं

ट्रस्ट की आकस्मिक देयता शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

6.0 पूंजीगत वचनबद्धताएं

ट्रस्ट की पूंजीगत वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

7.0 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के अभिमत और उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम व्यापार की सामान्य विधि से प्राप्य मूल्यों पर है जो तुलन पत्र में उल्लिखित की गई राशि से कम नहीं होगी।

8.0 करारोपण

आयकर निदेशक (छूट) ने 28 मार्च, 2013 को ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन के उत्तर मे वर्ष 2013-14 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए जिसे धारा 12एए के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत पंजीकरण को दिनांक 13 अगस्त 2013 के आदेश पत्र द्वारा प्रदान किया है। तदनुसार, ट्रस्ट ने आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में हालिया संशोधनों के अनुसार, ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत स्वयं को पुनः पंजीकृत किया है। प्रधान आयुक्त, आयकर ने दिनांक 28 मई, 2021 के आदेश द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए की उप-धारा (1) के खंड (एसी) के उप-खंड (i) के अंतर्गत आकलन वर्ष 2022-23 से शुरु होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरिम पंजीकरण की अनुमति दी है।

इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, ₹ शून्य/- (पिछले वर्ष - ₹ 11,98,46,028/-) की राशि ट्रस्ट की आय से अलग रखी गई है जिसका उपयोग औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के उद्देश्य से 5 वर्षों के भीतर यानी 31.03.2026 तक किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अलग रखी गई राशि को औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य से पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है।

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

	राशि (₹) 2020-21	राशि (₹) 2019-20
9.0 Foreign Currency Transactions		
9.1 विदेशी मुद्रा में आय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.2 विदेशी मुद्रा में व्यय	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.0 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
10.1 लेखा परीक्षक फीस		
- चालू वर्ष के लिए	1,70,000	1,70,000
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए	53,534	-
10.2 कर संबंधी मामलों के लिए	-	-
10.3 अन्य सेवाओं के लिए	-	-

11.0 परियोजना विकास व्यय

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के अनुसार, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच संबंधित सहायक उपक्रमों/गठित एसपीवी को परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) (पूर्ववर्ती दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) द्वारा वहन किए 'परियोजना विकास व्यय' अंतरित करने के मामले को दिनांक 06.03.2018 की एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल की तीसरी बैठक में विचारार्थ रखा गया।

न्यासी मंडल के निर्देशों के अनुसार एनआईसीडीसी लिमिटेड को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई परियोजना विकास निधि में से उल्लिखित सहायक उपक्रमों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीडीसी द्वारा वहन किए गए 'परियोजना विकास व्यय' संबंधित एसपीवी को अंतरित कर दिए गए हैं और एसपीवी द्वारा पर्याप्त अधिशेष निधि सृजित करने में सक्षम होने तक इसकी वसूली रोक दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एनआईसीडीसी लिमिटेड की लेखांकन नीतियों के अनुसार, परियोजनाओं के लिए वहन किए गए परियोजना विकास व्यय जिन्हें शुरू नहीं किया गया है अथवा कोई गतिविधि नहीं की जानी है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य(यों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, उन्हें एनआईसीडीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में 'पूंजी संचय' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाया जाता है।

12.0 प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा को वर्ष के दौरान रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर तैयार किया गया है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के प्रेक्षणों के आधार पर है।

13.0 ट्रस्ट के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

ट्रस्ट अपने आकलन और व्यापार के स्वरूप के आधार पर विश्वास करता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का ट्रस्ट के परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

14.0 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)

लेखों का भाग बनने वाली अनुसूची
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 9 : आकास्मिक देयताएं और लेखों पर नोट

15.0 अनुसूची 1 से 9 जोड़े गए है जो 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के आंतरिक भाग है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)

सीईओ एवं सदस्य सचिव

हस्ता.

(गिरिधर अरमाने)

अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 14 जुलाई, 2021

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST (NICDIT)

ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2020-21

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry:- Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development & Implementation Trust

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Trust		
2	The Year of inception of the organisation	2012		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Deed of Trust and Indian Trust Act, 1882 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)		
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2017-18, 2018-19 and 2019-20.	**Year**	**Lok Sabha**	**Rajya Sabha**
		FY 2017-18	17.07.2019	26.07.2019
		FY 2018-19	21.09.2020	12.02.2021
		FY 2019-20	10.02.2021	12.02.2021
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	Not Applicable		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1	Annual Report for the financial year 2020-21	59 - 86
2	Separate Audit Report issued by the Comptroller and Auditor General of India on the Annual Accounts for the year ending 31st March, 2021	87 - 92
3	Certified Annual Accounts for the financial year 2020-21	93 - 104

ANNUAL REPORT
(FINANCIAL YEAR 2020-21)

In accordance with the approval of Government of India on 15th September, 2011, DMIC Project Implementation Trust Fund was incorporated on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

The Government of India accorded approval for expanding the mandate and scope of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) by order dated 22nd December, 2016 and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. NICDIT will function under the administrative control of the Department for Promotion of Industy and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India . The Government has also approved constitution of a Board of Trustees of NICDIT with the following composition:

1. Secretary, DPIIT, Chairperson;
2. Secretary, Department of Expenditure, Member;
3. Secretary, Department of Economic Affairs, Member;
4. Secretary, Road Transport & Highways, Member;
5. Secretary, Ports, Shipping and Waterways, Member;
6. Chairman, Railway Board, Member;
7. CEO, NITI Aayog, Member; and
8. CEO, NICDIT, Member Secretary

The role, responsibilities and functions of NICDIT are as follows:

a) Establishing an enabling institutional, financing and operational framework for the development of Industrial Corridors;

b) Considering proposals received from different state Governments/UTs for establishing new Industrial corridors, Nodes, Early Bird Projects and Standalone projects;

c) Appraising all project proposals and sanction of equity or loan or both to SPVs and grants for project development as per approved delegation of financial powers;

d) Supporting project development activities in Industrial Corridors through Knowledge Partner(s), Special Purpose Vehicles (SPV's) and State Governments and assisting States in identifying Anchor Investors for industries;

e) Raising funds as debt/equity as per requirement, leveraging resources provided by Government of India and providing Equity/Debt to the SPVs formed in joint venture with State Governments/other stakeholders for implementation of projects;

f) Entering into agreements with the State Governments/ Project specific SPVs/public or private organizations, as may be required from time to time, to give effect to the modalities outlined in previous paragraphs;

g) Providing funds for land acquisition through existing mechanisms of States for specifically identified Strategic Early Bird Projects which could be developed on PPP models. However, land for city / node development will necessarily be the equity of the State and will be acquired and fully paid for by them.

h) NICDIT shall maintain accounts in the form prescribed by the Government on the advice of the C&AG of India and the accounts shall be subject to audit by the C&AG of India.

The Institutional Framework of NICDIT is as under:

a. The Board of NICDIT shall approve and sanction the optimal mix of debt and equity, choice of financial instruments, quantum of funds, terms and conditions and disbursement schedule from the grant provided by GoI, to the SPVs after taking into account inter alia, the progress of land acquisition and actual execution of works at each industrial city. Similarly, grant to knowledge partner(s) for project development will be given in phases as per progress of work.

b. NICDIT will leverage the resources provided by the Government of India to raise long-term funding from financial institutions and also, after obtaining due approvals, raise tax Free Bonds, Capital Gain Bonds, Credit Enhancement, etc. for supporting the development of Industrial Corridors.

c. GoI's contribution to NICDIT will be used as a revolving corpus. Investments into the SPVs by GoI will be routed through NICDIT so that all debt service payments by SPVs and proceeds from equity disinvestment from SPVs, including SPVs developed by NICDC so far, by utilizing grants given by the GoI can be ploughed back into the Corpus, enabling NICDIT to undertake the development of more such industrial cities in future. The nodal / city level SPVs may further raise long-term debt finance through credit enhancement by appropriate guarantees from Government of India / State Government, so that it becomes viable for investment by insurance and pension funds. The nodal / city level SPVs will seek to employ innovative infrastructure funding and delivery tools such as user fee funding, pricing innovations, and delivery through various PPP arrangements. Funds raised by the State Government / SPVs as loans or otherwise also will count towards State's contribution.

d. For financial support to PPP projects, the extant guidelines for their Formulation, Appraisal and Approval as in Central Sector infrastructure projects shall be followed. Such projects would be eligible for Viability Gap Funding (VGF) in accordance with the prevalent policy. Secretary, DPIIT and Member- Secretary, NICDIT will be members of the Public Private Partnership Approval Committee (PPPAC) for Industrial Corridor projects. In order to ensure coordinated development in consonance with the Master

Plans / Development Plans, all proposals for VGF in the Industrial Corridors will be examined and recommended by NICDIT.

e. Each industrial city / node will be supported by GoI to an average of Rs.2500 crore subject to a maximum extent of Rs.3000 crore depending on the geographical location, size, contribution of the State and the development needs. The actual requirement may vary for each city / node, depending upon the cost of land and infrastructure development and the ability of the respective State Governments to mobilise financial resources for land procurement / land pooling. The State Government's contribution will be by way of land or any other funds raised by it from any source including bi-lateral / multi-lateral funding. While the total requirement per city for non-PPP projects may be much larger and would vary from city to city, the above amount is being sought from the Government of India to trigger the first phase of development of these industrial cities / nodes. Subsequently, funds will be raised through internal monetization etc.

Delegation of Powers

NICDIT will appraise all proposals for non-PPP projects placed before it. Based on appraisal by NICDIT Board, it will approve projects valuing upto a sum of Rs. 300 crore as hitherto. Approval of Minister-in-charge will be obtained in case of projects valuing more than Rs. 300 crore and up to Rs. 500 crore. Proposals above Rs. 500 crore but upto Rs.1000 crore will be approved by the Minister-in-charge of Ministry of Commerce & Industry and Finance Minister. All proposals exceeding Rs. 1000 crore will be submitted to the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for obtaining approval.

Further, CCEA in its meeting held on 30.12.2020 delegated powers to NICDIT to change phasing of various projects, based on the progress of projects, availability of land and physical preparedness.

During the year 2020-21, the Board of Trustees held meetings on 19th August, 2020 and 14th January, 2021.

Planning of Industrial Corridor Nodes and their Sustainability Features adopted:

Industrial Corridor nodes under development adopts a sustainable approach that forms the ground work to aid the evolution of a Low Carbon City (LCC), including planning for Open green spaces, public transit and transit oriented development (TOD), encouraging the use of renewable energy, minimising the use of conventional energy, optimizing the conservation and recycling of water, and recovery and recycling of solid waste materials. Following are the key features of the Trunk infrastructure which are adopted in all nodes:

a) All Utilities are planned to be underground which leads to better usage of land.They are also outside the carriage way so that during maintenance and other works, the main carriageway is not affected.

b) The bus stations are planned within preferable walking distance of 400 m. Better last mile connectivity options provided to increase accessibility. Provision for Bus Bays/Bus Stops to minimize the effect on traffic.
c) Waste water will be collected and recycled from STP and CETP and redistributed to the City for non-potable purpose. SCADA system will be used to prevent any overflows and to maintain efficiency. Adoption of zero liquid discharge (ZLD) for sustainable solutions. Separate sewer lines for industrial and residential lines.
d) Conservation of water through rain water harvesting is adopted at city level. In Dholera for instance a 100-meter wide open channel with more than 2500 Million litres of capacity will be used for water harvesting, irrigation for parks and gardens as well as for non-potable purpose etc.
e) The entire infrastructure for Green field City is planned with SCADA, sensors and automation to generate real time information and to operate & manage it in efficient manner. This will facilitate Intelligent transport management, E-governance, Digital health & Education, Emergency and City operations.
f) Planning for Green spaces by categorization of hierarchy for open green spaces which are as follows:
    i. Neighbourhood parks within five minutes walking;
    ii. Community parks within Ten minutes walking;
    iii. Liner Park along the storm water canal within the city.
g) Planned for safe and sustainable Multi Modal Transportation System integrated with public transportation modes and non – motorized modes.
h) Planned electric charging stations at major transit interchanges with parking facilities in the clusters with social infrastructure.
i) All the lakes being improved and additional canals have been planned to increase the retention of water and also provide recreational area to the residents.
j) Wide sidewalks and cycle track for residents to walk from home and reduce pollution.
k) An extensive Web based GIS application for visualization of all plots and assets. A comprehensive online land management system for investors to get information, apply for land and follow their application through to allotment.

Overall Review of the Business and Operations

The salient features of the progress of projects at a glance is as under:

1. In case of DMIC project, the construction of trunk infrastructure related activities are in full swing at the following four locations:

    - Activation area for Dholera Special Investment Region in Gujarat admeasuring 22.5 sq. kms;
    - Phase-1 of Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra admeasuring 18.55 sq. kms;
    - Integrated Industrial Township Project at Greater Noida, Uttar Pradesh admeasuring 747.5 acres;

- Integrated Industrial Township Project at Ujjain, Madhya Pradesh admeasuring approx. 1100 acres.

2. The land Allotment policies have been finalized. 3 plots in Dholera Special investment Region in Gujarat, 5 plots in Integrated Industrial Township at Greater Noida in Uttar Pradesh, 3 plot in Integrated Industrial Township Vikram Udyogpuri in Madhya Pradesh and 70 plots in Shendra Bidkin Industrial Area in Maharashtra have been allotted up to FY 2020-21. About 6,500 acres of land (plug & play) is available for allotment to Industry & other uses (e.g., Commercial & Residential).;

3. Shareholder's Agreements (SHAs) and State Support Agreements (SSAs) have been executed for Krishnapatnam Node in Andhra Pradesh, Ponneri Node in Tamil Nadu, Tumakuru Node in Karnataka, Palakkad node in Kerala and project SPV's have also been incorporated;

4. NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020 has accorded its approval for inclusion of following Industrial Corridors and development of industrial nodes:

   i. Hyderabad Pharma City in Phase 1 under Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC);
   ii. Zaheerabad NIMZ under Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC);
   iii. Odisha Economic Corridor (OEC) as part of Eact Coast Economic Corridor (ECEC) with two priority nodes identified for implementation in Phase 1 namely Gopalpur-Bhubaneshwar-Kalinganagar (GBK) and Paradip-Kendrapada-Dharma-Subarnarekha (PKDS);
   iv. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC) with Orvakal node in Andhra Pradesh prioritized for development.

5. Presently, as part of National Industrial Corridor Program, following 11 Industrial Corridors are being taken up for development with 32 Projects to be developed in 04 phases forming part of National Infrastructure Pipeline (NIP):

   i. Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC);
   ii. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC);
   iii. Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC);
   iv. Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) as Phase 1 East Coast Industrial Corridor (ECIC);
   v. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC);
   vi. Extension of CBIC to Kochi via Coimbatore;
   vii. Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC);
   viii. Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC);
   ix. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC);
   x. Odisha Economic Corridor (OEC) and
   xi. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC).

List of 32 projects proposed to be developed in 4 phases is as under:

Phase 1
(Already Approved and under implementation)

- **1.1:** Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), (Gujarat, DMIC)
- **1.2:** Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA) (18.55 sq. kms), (Maharashtra, DMIC)
- **1.3:** Integrated Industrial Township – Greater Noida (IIT-GN), (747.5 acres), (Uttar Pradesh, DMIC)
- **1.4:** Integrated Industrial Township – Vikram Udyogpuri (IIT-VU), (1,100 acres), (Madhya Pradesh, DMIC)
- **1.5:** Integrated Multi-Modal Logistics Hub – Nangal Chaudhary (IMLH-NC) , (886 acres), (Haryana, DMIC)

Phase 2
(In advance stage of planning and implementation to be initiated by 2021 & likely to be completed by 2024)

- **2.1:** Krishnapatnam Industrial Area (2,500 acres) (Andhra Pradesh, CBIC)
- **2.2:** Tumakuru Industrial Area (1,736 acres) (Karnataka, CBIC)
- **2.3:** Multi Modal Logistics Hub & Multi Modal Transport Hub (MMLH & MMTH) (1,183 acres), (Uttar Pradesh, DMIC)
- **2.4:** Dighi Port Industrial Area (5,935 acres) (Maharashtra, DMIC)
- **2.5:** Multi Modal Logistics Park, Sanand (500 acres) (Gujarat, DMIC)
- **2.6:**Zaheerabad Phase 1 (4,000 acres) (Telangana, HNIC)
- **2.7:** Hyderabad, Phase 1 (8,000 acres) (Telangana, HWIC)
- **2.8:** Raghunathpur Industrial Park (2,483 acres) (West Bengal, AKIC)

Phase 3
(Under Development and implementation likely to be initiated by 2023 & likely to be completed by 2026)

- **3.1:** Ponneri Industrial Area (4,000 acres) (Tamil Nadu, CBIC)
- **3.2:** Palakkad Industrial Area (1,878 acres) (Kerala, CBIC Extension)
- **3.3:** Salem (1,773 acres) (Tamil Nadu, CBIC Extension)
- **3.4:** Hisar Integrated Manufacturing Cluster IMC (1,600 acres), (Haryana, AKIC)
- **3.5:** Koparthy Industrial Area (5,760 acres) (Andhra Pradesh, VCIC)
- **3.6:** Vishakhapatnam Industrial Area (1,100 acres) (Andhra Pradesh, VCIC)
- **3.7:** Chitoor Industrial Area (8,967 acres) (Andhra Pradesh, VCIC)
- **3.8:** Prag Khurpia Integrated Manufacturing Cluster IMC (1,002 acres), (Uttarakhand, AKIC)
- **3.9:** Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (6,570 acres), (Rajasthan, DMIC)

Phase 4
(Under Conceptualization and implementation likely to be initiated by 2024 & likely to be completed by 2027)

- **4.1:** Dharwad Node (6,400 acres) (Karnataka, BMIC)
- **4.2:** Satara Node (11,366 acres) (Maharashtra, BMIC)
- **4.3:** Rajpura Patiala IMC (1,100 acres) (Punjab, AKIC)
- **4.4:** Agra IMC (1,059 acres) (Uttar Pradesh, AKIC)
- **4.5:** IMC in Jharkhand under AKIC
- **4.6:** IMC at Gaya (1,670 acres) in Bihar under AKIC
- **4.7:** Odisha Economic Corridor (OEC) (11,366 acres)
  - Paradip-Kendrapada-Dhamra-Subarnarekha
  - Gopalpur-Bhubaneshwar-Kalinganagar
- **4.8:** Orvakal Industrial Area (9,800 acres) (Andhra Pradesh, HBIC)
- **4.9:** Khushkhera Bhiwadi Neemrana Industrial Area (1,625 acres) (Rajasthan, DMIC)
- **4.10:** Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC)

6. Out of 32 projects, three (3) projects have been approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 30th December, 2020 namely:
   i. Krishnapatnam Industrial Area in Andhra Pradesh under CBIC;
   ii. Tumakuru Industrial Area in Karnataka under CBIC and
   iii. Multi Modal Logistics Hub (MMLH) as Freight Village and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Greater Noida in Uttar Pradesh.

7. Apart from the above highlighted projects, project developmental activities are also being taken forward for the following projects:

   - Mass Rapid Transit System (MRTS) Project from Ahmedabad to Dholera in Gujarat;
   - 4-lane Expressway from Ahmedabad to Dholera;
   - Multi Modal Logistics Park at Sanand in Gujarat;
   - Greenfield International Airport Project at Dholera in Gujarat;
   - Bhimnath Dholera Rail Line Project.

The status of various nodes including the projects approved by the Trust/CCEA is as under:

DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR (DMIC) PROJECT

1. GUJARAT

Dholera Special Investment Region (DSIR):

- Preliminary Engineering works for various trunk infrastructure components has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- SPV by the name of "Dholera Industrial City Development Limited" has been incorporated. State Govt. has transferred 44.27 sq. kms to the SPV and matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust) amounting to Rs. 2,551.94 crore;
- MoEF&CC has provided Environmental Clearance for Dholera Special Investment Region;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Activation Area of Dholera for Rs. 2784.82 crore divided into five packages, the individual status is indicated as under:

- EPC for Roads and Services Contract (INR 1,734 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2021 – 88%;
- EPC for ABCD Building Contract (INR 72.31 crore). Cube Construction Engineering Ltd. is the EPC Contractor and work has been completed;
- EPC for Water Treatment Plant (WTP) Contract (INR 90 crore). SPML is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2021 – 30.00%;
- EPC for Sewage Treatment Plant (STP) Contract (INR 54 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2021 – 79%;
- EPC for Central Effluent Treatment Plant (CETP) contract (INR 160 crore). L&T is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2021 – 61%;

- Master System Integrator (MSI) has been appointed, D.R. Agarwal is the selected agency. Implementation works for Phase I area has been initiated;
- EPC for Canal Front Development including land fill, civil, MEP and landscaping (INR 38 crore). P.R. Patel & Co. is the EPC Contractor; Physical progress upto March 2021 – 77%;
- Land allotment policy has been finalized and 03 plots admeasuring 152.71 acres have been allotted to TATA Chemicals (126 acres as the anchor investor), Torrent power (20.78 acres) and Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (5.93 acres);
- Other infra/misc. works:
  - Construction of 10MLD short term water supply works from Pipli and laying of pipeline. The physical progress of work up to March, 2021 is 99.02%.
  - Contractor appointed by Gujarat Energy Transmission Corporation Limited (GETCO) for erection, commissioning and charging of the transmission line from Fedra to Activation Area, DSIR. The overall physical progress of work up to February, 2021 is 60%.
  - Out of 1000 MW proposed Solar Park in Coastal Regulation Zone (CRZ) (tender floated by Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd. (GUVNL)), 300 MW has been awarded to Tata Power Limited.
  - Following tenders for construction works have been awarded:
    - Enhancement of Side slope Storm Water Drainage Canal of length 5.96kms in Activation Area.
    - Earth work in selected plots of 162 hectares in Activation Area. The physical progress of works is about 11.00%.
    - Consultancy services of Employer's Engineer for supervision of miscellaneous construction works (7 construction projects).
    - Consultancy services to conduct the techno-economic feasibility study for setting up of Desalination Plant in DSIR.
    - Construction of Adhiya River Bunding Phase II
    - Construction of Interior works of SPV building in DSIR.

Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat (500 acres):

- Techno-Economic Feasibility Study (TEFS) is being finalized by the Project consultants;

- Discussions are underway with Western railways and DFCCIL to finalize the best possible rail connectivity option to the MMLP site;
- NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 accorded approval on the SHA to be executed between NICDIT and Govt. of Gujarat through GIDC which will be executed after receipt of land valuation from State Govt.
- Master Plan is being finalized.
- In November, 2020, Govt. of Gujarat had confirmed availability of 199 Ha for MMLP Project at Sanand
- State Govt. on 1st January & 17th February, 2021 has indicated the tentative valuation of land based on which viability of the project has been assessed.
- In March, 2021, a letter has been sent to State Govt. regarding the viability of project and requesting to confirm prioritization of the project considering the development of similar facility in the vicinity of project area.

MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- DPR for MRTS prepared and approved by the State Govt.;
- Project has been included in JICA Rolling Plan for DMIC Project;
- Land acquisition for the MRTS Project has been done as part of RoW of expressway project from Ahmedabad to Dholera;
- DPR for Expresswat Project has been finalized by NHAI and DSIRDA has handed over the land within DSIR to NHAI for implementation;
- Bids received by NHAI for construction of four packages for the Expressway for entire stretch are under evaluation;
- For Phase I of Metro connectivity between Gandhinagar to Ahmedabad, the State Government has constituted a SPV - Metro Link Express between Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA).

Greenfield International Airport at Dholera in Gujarat:

- Consortium of M/s PwC has been appointed as the Transaction Advisor;
- Environment Clearance has been obtained from MoEF&CC. Ministry of Civil Aviation has granted "in principle" clearance to the project;
- State Govt of Gujarat has agreed to make available 1426 Ha of land on lease rent of Rs. 1 per annum for 30 years further expandable to another 30 years;
- Board of AAI has approved DPR and the proposal of 51% equity participation in the project;
- Shareholders Agreement (SHA) was signed between AAI, Govt. of Gujarat & NICDIT on 25.03.2019;
- NICDIT as part of its equity (16%) has released Rs. 24.24 crore;
- RITES has been appointed as the Engineering Consultant for the project;
- Flood mitigation plan is being finalized by Govt. of Gujarat's Irrigation Department while soil investigation is being conducted by IIT, Gandhi Nagar.

- AAI has issued EPC tender for the construction of first phase for International airport at Dholera, Gujarat Airport on 25th February, 2021 entailing an investment of Rs 987 crore.

Bhimnath Dholera Rail Line Project:

- The Board of SPV-DICDL has approved the estimated cost of the project as finalised by Western Railways during the meeting held on 6th September, 2017;
- The project will be implemented by DICDL as per the Non-Govt. Railway (NGR) model of MoR. The project will be implemented as a joint venture between NICDIT and Govt. of Gujarat and project cost will be funded by 100% equity;
- DPR has been reviewed by Western Railways (WR) and accorded in-principle approval. Final approval on the cost estimates from WR is awaited.
- Land acquisition schedule / details have been submitted to District collector of Ahmedabad and Botad by DSIRDA.
- Forest Clearance for new Rail line between Bhimnath and Dholera Special Investment Region (area- 15.5 ha) is under process with State Government.

2. MAHARASHTRA

Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA):

- Preliminary Engineering works for Phase-1 of SBIA (8.39 sq. kms) has been completed;
- Programme Managers are undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- Node/City level SPV by the name "Aurangabad Industrial Township Limited" (AITL) has been incorporated. State Govt. has transferred 8.39 sq kms to the SPV and the matching equity has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) (formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)) amounting to Rs. 602.80 crore;
- Environment Clearance for Shendra-Bidkin Industrial Area has been granted by MoEF&CC;
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various trunk infrastructure components for Shendra Industrial Area for Rs. 1533.44 crore. Further the individual status of various packages is indicated as under:

  - EPC for Roads, Drains, Culverts, Water Supply, Sewerage and Power systems (INR 656.89 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC contractor. Physical progress upto March, 2021 – 96%;
  - EPC for construction of Road over Bridges (INR 69.45 crore). Patil Construction and Infrastructure Ltd is the EPC contractor. Physical progress upto March, 2021 – 95%;
  - EPC for District Administration Building (INR 129 crore). Shapoorji Pallonji is the EPC contractor. The works has been completed and the building is in use;

- EPC for Sewerage Treatment Plant (STP), Common Effluent Treatment Plant (CETP) & Solid Waste Management (INR 72.52 crore). Passavant Energy Ltd. is the EPC contractor. Physical progress upto March, 2021 – 90%. One CETP has been commissioned;
- EPC for Landscape and Irrigation Works (INR 112 crore). Shapoorji Palloni is the EPC Contractor. Physical progress upto March, 2021 – 13.90%;
- ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). Honeywell is the selected agency. The command-and-control centre works including the testing and commissioning have been completed.;

- Land allotment policy finalized and 70 plots admeasuring 245 acres have been allotted including industries in the Shendra Industrial Area. Hyosung Corporation of South Korea is the First Anchor Investor in Shendra Industrial Area. Other plots have been allotted majorly to Small and Medium Enterprises. 09 companies have started their commercial operations in Shendra Industrial Area;
- Project developmental activities for Bidkin are being taken forward and trunk infrastructure packages worth INR 6414.21 crore have been approved by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) [formerly known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC Trust)] and subsequently by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA);
- State Govt. has transferred 28.75 sq kms to the project SPV for Bidkin Industrial Area and matching equity has been released amounting to INR 2397.20 crore;
- Potential of setting up of Mega Textile Park and Manufacturing Zones for Power and Renewable Equipment at Bidkin is also under discussion between GoI and Govt. of Maharashtra;
- Further the individual status of various packages is indicated as under:
  - L&T has been appointed as the EPC Contractor (INR 1223 crore) for Bidkin Phase-1 i.e. 10 sq. kms for roads and underground utilities/services & work is in progress. Physical progress upto March, 2021 – 99%;
  - ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 81.90 crs). KEC International Limited is the selected agency. Physical progress upto March, 2021 – 85%.
  - Pipeline from Khodegaon WTP to Bidkin UGSR (INR 38 Crore). L&T is the selected agency. Physical progress upto March, 2021 – 75%.
  - RFP cum RFQ has already been issued for Lnadscaping works in Bidkin and bid evaluation is in progress.

Dighi Port Industrial Area:

- EGIS India has been appointed as consultant for preparation of Detailed Master Planning and Preliminary Engineering. The consultant has submitted the Final Master Plan for 3,500 Ha to the SPV for review and approval.
- State Govt. on 12th November, 2020 confirmed the availability of 2,402 Ha of land out of which 1,466 Ha is in possession of State Govt.
- Master planning is underway.

3. MADHYA PRADESH

Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain:

- Share Purchase cum Shareholder's Agreement has been executed between NICDIT and MP Trade and Investment Facilitation Corporation Ltd. (MPTRIFAC) & MP Audyogik Kendra Vikas Nigam (MPAKVN). SPV with the name of "DMIC Vikram Udyogpuri Limited" has been incorporated;
- Land admeasuring 1,100 acres has been transferred to the project SPV and the matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Environmental clearance for the project has already been obtained.
- The agreement on "Supply of water from Water supply pipeline from Ujjayini to Ujjain to Industrial area Vikram Udyogpuri Ltd. in Ujjain" has been signed between with Narmada Valley Developm ent Authority (NVDA) and Vikram Udyogpuri Ltd. to meet the water requirement of the project.
- AECOM, the Program Management Consultants is supervising the construction related activities;
- The work for development of trunk infrastructure awarded to EPC Contractor has been completed in March, 2021 and finishing works are underway.
- Land allotment policy has been finalized and 03 plot admeasuring 22.14 acres have been allotted (including 12 acres allotted to AMUL).;

4. HARYANA

Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary:

- Land admeasuring approx. 886 acres has been identified in District Mahendergarh for the project;
- The project SPV by the name of "NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- The master planning for the project has been completed and approved by the State Govt.;
- CCEA has approved the project with financial sanction of Rs. 1029.49 crores for development of Phase I and "In-Principle" approval for development of Phase II of the project;
- State Govt. has transferred. 686 acres out of the total land and equity amounting to Rs. 208.05 crore (including initial equity of Rs. 5 Crore) has been released by NICDIT;
- Out of balance land, approx. 158 acres is under litigation and matter is pending with Hon'ble High Court of Punjab and Haryana. The matter could not be discussed in the last hearings scheduled in March, 2020, May, 2020, September, 2020, December, 2020 and March 2021. The next date of hearing is 23rd July, 2021.

- NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020 accorded its approval that SPV will bear the cost of external connectivity of Power, Water & Road from source to the site boundary without any additional equity/debt contribution from NICDIT.
- Ministry of Railways (MoR) had accorded its approval for acquisition of additional land under Railways Act for 25 acres. For facilitating acquisition of this land, an MoU has been executed on 22nd December, 2020 between MoR, DPIIT, Government of Haryana through HSIIDC, NICDC Haryana Multi-Modal Logistics Hub Project Limited (project SPV) and NICDC.
- Indian Port Rail Corporation Limited (IPRCL) has been appointed for carrying out the consultancy work for preparation of Detailed Project Report (DPR) and also the PMC for the railway connectivity works of the project. Activities pertaining to finalisation of DPR for rail siding underway.
- External connectivity to site - SPV has released Rs.103.93 crore to 3 Depts. Of the State Govt. (Road, Power & Water) for carrying out works on deposit basis and tenders have been floated.
- EPC tender documents for Construction of Rail Connectivity from New Dabla DFCCIL Station to the Integrated Modal Logistic Hub (IMLH), Nangal Choudhary including yard modification in existing New Dabla Station is under preparation and to be floated.

Mass Rapid Transit System (MRTS) Project:

- State Government along with Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has approved the Final DPR;
- Project SPV by the name of "DMIC Haryana MRTS Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;
- Land is in possession of the State Govt.;
- The project has been included in the JICA Special Rolling Plan for DMIC Project;
- NRCTC was requested to review the DPR and suggest a way forward and accordingly, NRCTC opined that a single agency be responsible for implementation of metro projects in Gurgaon.
- Report submitted by NRCTC was shared with Govt. of Haryana in February, 2020.
- During recent meetings with officials of Govt. of Haryana, it was informed that Haryana Mass Rapid Transport Corporation Limited (HMRTC) will be the nodal agency for all metro projects in the State of Haryana and accordingly, Gurgaon Bawal metro project will also be handled by HMRTC.

Global City Project:

- The Global City Project has been planned with Financial/ Business Center as an integral part and growth driver for the city.
- Final Master Plan has been approved by the State Govt.
- Project SPV by the name of "NICDC Haryana Global City Project Limited" has been incorporated between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and State Govt. of Haryana;

- Preliminary Engineering for roads and services/utilities has been completed;
- Land admeasuring 1100 acre is in the possession of the State Govt.
- HSIIDC vide letter dated 24.05.2021 has informed that the matter with respect to Global City Project was discussed in detail in the meeting held on 23.02.2021 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister and it was finally concluded that the project shall be implemented by HSIIDC on its own.
- Further, NICDIT have been requested that the steps may be initiated for formalizing the arrangement of termination of Joint Venture Agreement between NICDIT and HSIIDC.

5. UTTAR PRADESH

Integrated Industrial Township Project at Greater Noida:

- Preliminary engineering activities have been completed and SPV by the name of "DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited" has been incorporated between NICDIT and Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA);
- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the Project SPV and the matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT);
- Environmental Clearance has been accorded by MoEF&CC;
- ICT consultant has been appointed and tender documents for selection of Master Syatem Integrator (MSI) has been issued;
- Shapoorji Pallonji has been appointed as the EPC Contractor for INR 426 crore for undertaking the implementation of various trunk infrastructure components. Major works have been completed till March 2021 and finishing works are underway;
- SIEMENS has been appointed as EPC Contractor for INR 121 Crore in Jan-2018 for power distribution works within the site.;
- Works related to transmission network has been awarded to Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited (UPPTCL) (INR 156 Crore) and implementation activities are in progress;
- Land allotment policy finalized and 153.89 acres of land allotted to 5 applicants with Haier (123.4 acres) as the anchor investor. Construction activities started by 3 companies;

Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida:

- Project has been approved by CCEA on 30th December, 2020.
- The SPV for Integrated Industrial Township Project will be implementing the MMLH and MMTH project as well;
- DFCCIL has given 'in principle' approval for providing connectivity to the project site;
- Detailed Project Report (DPR) for MMLH and MMTH is being finalized;
- Memorandum of Understanding has been executed between Ministry of Railways and SPV for development of MMTH at Boraki;

- Out of total land area required for MMLH and MMTH of 479 Ha, land admeasuring 369 Ha is already under possession and approx. 84 Ha land parcels are being acquired by the State Government/GNIDA under LARR Act for which Section 11 notification has been issued. In case of MMLH Project, out of total land required for connectivity with WDFC station, approx. 10 Ha land is proposed for acquisition under Railways Act by DFCCIL.
- For MMTH Project, approx. 16 Ha land is required for providing Railway connectivity with Indian Railways and development of Railway yard is proposed to be acquisition under Railways Act by North Central Railways (NCR).
- Indian Port Rail Corporation Limited (IPRCL) has been appointed for Preparation of Detailed Project Report and Construction Supervision of Rail Flyover from Dadri Junction Station of DFCCIL to the proposed MMLH.
- Activities pertaining to finalization of DPR for rail siding underway and DFCCIL on 25th Nov, 2020 gave 'in principle' approval for most preferred alignment option for connectivity of DFC New Dadri Yard to MMLH at Greater Noida.
- ToR for Environment Clearance for MMLH/MMTH projects has been received on 19th March, 2021.
- For coordinating the works of various agencies, the tender document for selection of "General Consultant" for the MMTH project has been floated.
- For MMLH, tender for EPC contract for construction of Railway siding from New Dadri station to MMLH site is likely to be issued by December, 2021.

6. RAJASTHAN

Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan:

- State Govt. on 12th October, 2020 informed that Development Plan of KBNIR has been notified as Special Investment Region (SIR).
- During the meeting held on 14th Dec, 2020, 658 Ha has been confirmed by State Govt. for phase-1 development (26 Ha acquired) and balance 632 Ha will be made available by June, 2021
- RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has been appointed as Regional Development Authority
- Consultant for detailed master planning and preliminary engineering has been appointed in April, 2021.

Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA):

- State Govt. on 12th October, 2020 informed that Development Plan of JPMIA has been notified as Special Investment Region (SIR).
- During the meeting held on 14th Dec, 2020, 1,690 Ha land area has been confirmed by State Govt. for phase-1 development (1,060 Ha available) and balance 630 Ha will be made available by June, 2021.
- RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has been appointed as Regional Development Authority.

- Consultant for detailed master planning and preliminary engineering has been appointed in March 2021.

SMART COMMUNITY PROJECTS:

A) Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The 05MW Solar Power Plant has been commissioned on 03rd September, 2015. The power is feeding to State Grid (i.e. 220KV GSS Neemrana) at the agreed tariff of Rs. 8.77/- per unit as per the Power Purchase Agreement (PPA) with NVVN Limited.
- The 1 MW model solar power project is conceived as the first Smart Micro-Grid Project in India, demonstrating the integration of solar power with industrial diesel generator sets;
- Micro-grid Solar Power Supply project was commissioned on 10thJuly 2017 of a capacity of 1MW during the demonstration period for two years the Off grid Hybrid power was supplied to Mikuni India Private Limited. The plant has been decommissioned on 20th Feb 2020 at MIPL.
- A Power Purchase Agreement between NICDC Neemrana Solar Power Limited (formerly, DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (DNSPCL)) and Toyada Gosei Minda India Pvt. Ltd. (TGMIPL) has been signed on date 12th Feb 2020 for the supply of Grid Integrated Solar power on the basis of a third party sale of Solar Power.
- Generation and Supply of Solar Power to TGMIPL through grid has commenced w.e.f. 1st June, 2021.

B) Logistic Data Bank Project:

- NICDC Logistics Data Services Limited (formerly DMICDC Logistics Data Services Limited) provides online container tracking in India by integrating multiple information nodes across various agencies and provides a common visibility platform for all by leveraging RFID technology at its backend.
- The project has been launched and services have started at all the terminals of JNPT Port with effect from 1st July, 2016.
- Service is operational at PAN India level at all major and some minor ports and more than 32 million containers have been tagged/de-tagged till date.
- Services has also been extended for movement across international Borders to Nepal and Bangladesh.
- NITI Aayog is developing the concept of Unified Logistics Interface Platform (ULIP) by leveraging the existing platform of LDB. The modalities are being finalized in consultation with various ministries of GoI and other key stakeholders.

OTHER PROJECTS:

India International Convention and Expo Centre (IICC) at Dwarka, Delhi:

- Project is being undertaken in a Phased manner with Phase-1 comprising trunk Infrastructure, two Exhibition Halls & Convention Centre is expected to be completed by FY 2020 – 21 and Phase – 2 with construction of Three more Exhibition Halls, Arena and Commercial Development of complimentary infrastructure like Hotels, Retail and Office spaces will be taken up after completion of Phase-1 and is expected to be completed by year 2025. The facilities provided at IICC Dwarka will be at par with the best in the world in terms of size and quality, offering setting for international and national events, meetings, conferences, exhibitions and trade shows. In addition to giving boost to business and industry it is also expected to generate over 5 lakh direct and indirect employment opportunities.

- Following stakeholders have mobilized and presently working on the project:

  1) Programme Management Consultant: AECOM Asia Pvt. Ltd. in consortium with AECOM India Pvt. Ltd.
  2) Preliminary Engineering & Architectural Consultants: IDOM & CPKA
  3) EPC Contractor: L&T
  4) Transaction Advisor: BCG Consulting
  5) Operator: A consortium of Korea International Exhibition Centre and eSang Networks Company Limited (KINEXIN)
  6) Financial Advisor for raising loans: IDBI Capital Markets & Securities Limited
  7) hird Party Quality Assurance and Audit (TPQA): National Council for Cement and Building Materials (NCCBM)

- Implementation activities at site are under full swing and Excavation, PCC & RCC works have been completed by the EPC Contractor. Civil works of ESS-1 & ESS-2 (Electric Sub Station) are completed and handed over to BRPL (BSES Rajdhani Power Ltd) for installation of electrical equipment's. Civil works at DG building completed substantially. 6 nos. DG are installed in DG Building. Further, Roof truss erection is completed at Convention Centre except cantilever trusses which are in progress. Presently, Erection of trusses and roof sheeting, Liner & Kalzip component (top hat bracket) installation works for Exhibition Halls are in progress. The MEP works of all buildings and within the underground service gallery are being constructed progressively and in parallel. Travellator and escalator installation works in Foyer 1 & 2 are in also progress. The overall cumulative physical progress of EPC works at site as on 31st March 2021 is 67.34%.

- MoU Agreement for knowledge partnership between IICC and NICDC for development of India International Convention and Expo Centre was signed on 26th October 2018.

- MoU Agreement between BRPL (BSES Rajdhani Power Ltd.) and IICC for Bulk power supply to IICC Dwarka Project has been executed. After installation of GIS Equipment (BSES & EPCC) and HT & LT Panels in ESS 1 & 2, BRPL energized both stations including inter-connector and in- feed cable on no load condition.

- A MoU has been signed with Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) for Extension of Airport Express line to IICC Project. Currently, tunnelling works under Exhibition Hall – 3 was completed by DMRC and handed over to L&T for further construction works. Further, structure of Station Box for IICC Dwarka Metro Station has been completed and execution of system works is under progress by DMRC.

- Rs. 92.39 crore has been transferred from IICC to NHAI for onward payment to DDA for transfer of 18.66 acres of land for external connectivity to be developed by NHAI.

- Work on Development of Dwarka Expressway and UER - II (which includes road connectivity to IICC complex) awarded by NHAI has commenced and construction work is in progress.

- Proposal for inclusion of IICC Project under Transit Oriented Developments (TOD) scheme of DDA has been submitted to DDA – UTTIEC on February 24, 2021. The matter is under consideration.

OTHER INDUSTRIAL CORRIDORS:

A. CHENNAI BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (CBIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed and three nodes have been identified for development:
  i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh;
  ii. Tumakuru, Karnataka; and
  iii. Ponneri, Tamil Nadu.

i. Krishnapatnam, Andhra Pradesh:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV by the name of 'NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited' has been incorporated on 07th August, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (2500 acres) have been finalized. The entire land parcel is in the possession of the State Govt.
- Environment clearance including CRZ clearance for the project is under process.
- Project was approved by CCEA on 30th December, 2020 and EPC tender is being finalized for appointment of EPC contractor for implementation of trunk infrastructure.
- PMC has been appointed by the Project SPV in Jan 2021.
- Land admeasuring 1,814.51 acres has been transferred to the project SPV and matching equity of NICDIT amounting to Rs. 450.72 crore (in addition to the initial equity of Rs. 2.50 Crore) has also been released.

ii. Tumakuru, Karnataka:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed and project SPV i.e. CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd. has been incorporated on 1st November, 2018.
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (1736 acres) have been finalized. The entire land parcel is in the possession of the State Govt.
- Activities related to Environmental Clearance are underway.
- Project was approved by CCEA on 30th December, 2020 and EPC tender has been floated for appointment of contractor for implementation of trunk infrastructure in Feb 2021.
- PMC has been appointed by the Project SPV in Jan 2021.
- Land admeasuring 1,668.30 acres has been transferred to the project SPV and matching equity of NICDIT amounting to Rs. 584.24 crore (in addition to the initial equity of Rs. 2.50 Crore) has also been released.

iii.Ponneri, Tamil Nadu:

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) have been executed on 21st Feb, 2020 and the project SPV by the name of 'CBIC Ponneri Industrial Township Limited' has been incorporated;
- Approx. 3,375 acres is available and has been notified for Ponneri Industrial Area. Final confirmation on the boundaries for the same is awaited from the State Govt.
- Consultant appointed in Oct 2020 for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering.

B. Extension of CBIC to Kochi Via Coimbatore:

a) NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 has accorded its approval for entension of CBIC Project to Kochi via Coimbatore. Following nodes have been identified for development:

b) Palakkad, Kerala (1,878 acres) & Kochi Global City (500 acres):
   - Land identified and acquisition is in progress
   - SHA/SSA executed on 22nd October, 2020
   - Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Oct 2020.

c) Dharmapuri Salem, Tamil Nadu (1,733 acres):
   - Land is in possession of State Govt.
   - Consultant appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Oct 2020.

C. AMRITSAR KOLKATA INDUSTRIAL CORRIDOR (AKIC) PROJECT:

- Perspective Plan for the overall corridor has been completed.
- One (01) IMC site has been finalized in each State for further development namely:
  1) Punjab: Rajpura-Patiala (1,100 acres)

2) Haryana: Hisar (1,600 acres)
3) Uttarakhand: Prag-Khurpia Farms (1,002 acres)
4) Uttar Pradesh: Agra (1,059 acres) and Prayagraj (1,141 acres)
5) Bihar: Gamhariya (1,635 acres)
6) Jharkhand
7) West Bengal: Raghunathpur (2,483 acres)

- The project was reviewed in NICDIT meeting held on 23rdAugust, 2017 and it was directed that project development activities should be undertaken only in those places where land is in possession and the State Government(s) is willing to transfer the same to the SPV.

i. Raghunathpur, West Bengal

- State Govt has given confirmation on the land available and Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being discussed with Govt. of West Bengal and confirmation on the same is awaited.
- Approx. 2,483 acres of land is under the possession of State Govt. Detailed Master Planning has been completed and activities related to Environmental Clearance for the project is underway.
- Compliance on Terms of Reference for seeking environment clearance was considered by MoEF&CC during its meeting held on 18th March, 2021. Stakeholder's consultation was held on 24th March, 2021 with all the relevant State Govt. agencies.
- Land parcel of 2483 acres is under the possession of State Govt. of West Bengal;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been completed;

ii. Prag-Khurpia Farms, Uttarakhand

- The Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being finalized with the state government;
- Land parcel of approx. 1002 acres is under the possession of State Govt. of Uttarakhand;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Jan 2021.

iii. Hisar, Haryana

- Govt. of Haryana have provided the land details of proposed IMC at Hisar in place of earlier identified site of Saha in Dec 2020. Approx. 1,600 acres of land in possession of State Govt.;
- Consultant has been appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Feb 2021.

iv. Rajpura-Patiala, Punjab

- State Govt. has confirmed land at Rajpura Patiala (approx. 1,100 acres) in Feb 2021.

- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Feb 2021.

v. Agra and Prayagraj, Uttar Pradesh

- State Govt. in Jan 2021 has confirmed land at Agra (approx. 1,059 acres) in place of earlier identified site at Bhaupur.
- Tender for appointment of Master planning and preliminary engineering consultant has been floated by NICDC.
- Further, State Govt. is also preparing a feasibility report for site at Prayagraj (1,141 acres) for submission to NICDIT for its consideration.

vi. Gamhariya, Bihar

- State Govt. has informed regarding initiation of land acquisition of identified site at Gamhariya, Gaya Dist. in Jan 2021.
- It has also been informed that the land will be made available in 10-12 months' time.
- Tender for appointment of Master planning and preliminary engineering consultant has been floated.

vii. Chatra, Jharkhand

- State Govt. in Jan 2021 has informed that the earlier site at New Bahri is not available therefore an alternate site at Chatra Dist. is being identified.
- Confirmation on the land details of alternate site is awaited.

D. BENGALURU MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR (BMIC) PROJECT:

- The Perspective Plan has been completed and approved;
- State Govt.(s) of Karnataka and Maharashtra have been requested to share the availability of land in their possession along with the required connectivity infrastructure.
- Dharwad, Karnataka (6,400 acres)
  - State Govt. has identified and confirmed Dharwad as the priority node for development in Jan 2021.
  - Tender document for selection of consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering has been floated.
- Satara, Maharashtra
  - Govt. of Maharashtra has confrimed Satara as priority node for development of approx. 5,000 Ha of land in March, 2021.
  - Project development activities being initiated.

E. VIZAG CHENNAI INDUSTRIAL CORRIDOR (VCIC) as Phase-I of EAST COAST INDUSTRIAL CORRIDOR (ECIC)

- VCIC was included as part of mandate of NICDIT in December, 2016.

- Govt. of Andhra Pradesh has prioritized development of Visakhapatnam (Nakapalli Cluster) and Chittoor (South Cluster) nodes and requested Govt. of India for inclusion of Vizag Chennai Industrial Corridor under NICDIT mandate and developing Vizag and Chittoor.
- Based on the request received from State Govt., NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 accorded its approval for development of Vizag and Chittoor as priority nodes in phase-A of VCIC.
- Govt. of Andhra Pradesh as part of NICDIT meeting requested for inclusion of Kopparthy node at Kadappa as an additional node in the State of Andhra Pradesh.
- State Govt. was requested for prioritization of a node for taking up project development activities based on the availability of contiguous land parcels, land already in possession of State Govt. and which can be transferred to the proposed SPV.
- State Govt. has thereafter informed regarding availability of land in Kadappa, Chitoor for development of industrial node and accordingly, master planner have been appointed for detailed master planning and preliminary engineering for both Kadappa and Chittoor.
- Vishakhapatnam (Nakapalli cluster), Andhra Pradesh (1,120 acres)
  - Start-up area of 1,120 acres being developed in partnership with ADB.
  - State Govt. is undertaking the detailed master planning and preliminary engineering activities.
- Chittoor, Andhra Pradesh (8,967 acres)
  - 2,346 acres of land is in possession of the State Govt. and confirmation regarding the availability of land has been received from State Govt. in June, 2020.
  - Consultant has been appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Nov 2020.
- Kopparthy, Andhra Pradesh (5,760 acres)
  - Land is in possession of the State Govt. and confirmation regarding the availability of land received from State Govt. in June, 2020.
  - Consultant has been appointed for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in Nov 2020.

F. HYDERABAD WARANGAL INDUSTRIAL CORRIDOR (HWIC) and HYDERABAD NAGPUR INDUSTRIAL CORRIDOR (HNIC)

- Based on the proposal received from Govt. of Telangana for development of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor, NICDIT had directed that "Government of Telangana should carry out a feasibility study and identify suitable land for the project."
- Accordingly, Govt. of Telangana has carried out a detailed study and Hyderabad Pharma City NIMZ has been identified as part of Hyderabad Warangal Industrial Corridor. Further, Zaheerabad has been identified as part of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor.
- A meeting in this regard was also held on 19th March, 2020 under the chairmanship of Secretary, DPIIT wherein project progress was reviewed.

- Accordingly, the proposal with regard to inclusion of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor was considered and approved by NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020.
- Zaheerabad, Telangana (12,635 acres):
  - Phase – I area of 4,000 acres
  - Govt. of Telangana has carried out master planning study and Zaheerabad has been identified as part of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor
  - Activities related to seeking Environmental Clearance for the project in progress
  - DPR being finalized by the State Govt. and will be placed for consideration of NICDIT.
- Hyderabad, Telangana (19,333 acres):
  - Phase – I area of around 8,000 acres in possession of State Govt.
  - Govt. of Telangana has carried out master planning study and Hyderabad Pharma City identified as part of Hyderabad Warangal Industrial Corridor.
  - Environmental Clearance obtained from MoEF&CC.
  - State Govt. has been requested to submit the for consideration of NICDIT.

G. HYDERABAD BENGALURU INDUSTRIAL CORRIDOR (HBIC)

- A request has been recently received by Govt. of India from Govt. of Andhra Pradesh for development of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor wherein following nodes were proposed for development:
  - Hindupur (Anantapur District),
  - Orvakal (Kurnool District) and
  - Kopparthi (Dr YSR Kadappa District)
- A meeting was accordingly held on 19th March, 2020 under the chairmanship of Secretary, DPIIT wherein the status of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor was reviewed.
- After detailed deliberations, it was decided that State Govt.(s) of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka will discuss initially among themselves and communicate their view points to NICDC regarding implementation of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor. Support for HBIC and land details from State Govt. of Telangana and Andhra Pradesh were received and the proposal for inclusion of HBIC under the overall mandate of NICDIT was considered and approved by NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020.
- Approx. 9,800 acres in possession of Govt. of AP and accordingly, consultant has been appointed for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for Orvakal node in Jan 2021.

- Govt. of Karnataka has been requested to provide land details of proposed site (approx. 3,300 acres) at Kadechuru, Yadgir Dist. along with timelines for land acquisition.

H. ODISHA ECONOMIC CORRIDOR (OEC)

- For Odisha Economic Corridor, Concept Development Plan (CDP) has been finalized by ADB.
- Two nodes prioritized by State Govt. i.e. Gopalpur, Bhubaneswar Kalinganagar (GBK node) and Paradip –Kendrapada – Dhamra – Subarnarekha (PKDS node) comprising of total area of 11,366 acres.
- Proposal for Inclusion of Odisha Economic Corridor (OEC) as a part of overall mandate of NICDIT has been approved by NICDIT in its meeting held on 19th August, 2020.
- Consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering of the two nodes under OEC has been appointed in March, 2021.

I. DELHI NAGPUR INDUSTRIAL CORRIDOR (DNIC)

- Delhi Nagpur Industrial Corridor is being considered for development and project development activities will be initiated after receipt of proposal and further deliberations with the respective State Govt.(s)

PROPOSED INITIATIVE – NATIONAL MASTER PLAN (NMP)

- A Comprehensive Plan to integrate all the existing and proposed development initiatives by way of a National Master Plan (NMP) has been developed by NICDC with the assistance of BISAG-N to integrate all the existing/planned initiatives of the various Ministries/Departments being undertaken for better synergy with multi modal connectivity to various Economic Zones.

- It will depict various economic zones and the infrastructure linkages required to support them with an objective to holistically integrate all the multi-modal connectivity projects and remove missing gaps for seamless movement of people, goods & services. Minimizing disruptions, ensuring quick completion of works with cost efficiency are the guiding principles for development of infrastructure as per the National Master Plan.

- In the National Master Plan, all existing and proposed economic zones will be mapped along with the multi modal connectivity infrastructure in a single platform ranging in three time periods, i.e., status as on 2014-15, achievements made by 2020-21 and planned interventions up to 2024-25.

- The comprehensive map will provide a bird's eye view of infrastructure development with key layers based on completion timelines of various Economic Zones, Infrastructure & Utilities across the country. The National Master Plan is being developed by BiSAG-N (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics) an autonomous body under Ministry of Electronics and

Information Technology (MeitY). The Master Plan is being prepared in dynamic Geographic Information System (GIS) platform wherein data on specific action plan of all the Ministries/Departments will be incorporated within a comprehensive database.

- The Logistics Division will further develop and monitor the National Master Plan in coordination with the respective line Departments/Ministries after approval by the Competent Authority.

Awards and Recognitions for Smart Cities under DMIC Project

Dholera Smart City:

1. Geospatial Excellence Award, March 2016
2. Bentley "Be Inspired", March 2016
3. IGBC Green City Rating "Platinum", Sept 2016
4. Best City for Integrated Planning, Feb 2017
5. Best Green City, Feb 2017
6. Best Innovative Greenfield Industrial Township Project, Feb 2019

AURIC Smart City:

1. Auric Hall - 2017 Times National award for Best office building and Best in Architecture
2. 2018 National Safety Council 2nd Place for Infra Project 3.2 Million safe Manhours
3. 2018 Skoch Order-of-Merit Award for E-Land Management System
4. 11 EBJ/CCBJ Awards for Environmental and Climate Change Innovations in San Fransico received award for Technology Merit: Smart Cities.

- **Technology Merit: Smart Cities:** Extended Aurangabad Industrial Smart City project, integrating smart technologies and next-level infrastructure to transform AURIC (Aurangabad Industrial City) into a smart, green industrial city of the future.

MARKETING AND PROMOTION

- Extensive marketing efforts are being undertaken for allotting land parcels by having an industry specific focus. Various competitive ways for bringing in private sector investors/developers for developing undeveloped land parcels, so as to reduce the Government's contribution, are also being explored.

- The primary objective of marketing activities & investment promotion initiatives focus on 'brand building' & 'investor engagement' with focus of various priority sectors like Pharmaceuticals, Medical Devices, white goods like air-conditioners, LEDs etc., textiles, automobiles, electronics, component manufacturing, food processing, electric vehicles and its components, healthcare components, etc. The thrust sectors are the one where the Government of India has recently announced the Production Linked Incentives (PLIs) scheme for boosting manufacturing. The target is to tap those companies which are planning to avail the PLI scheme of the

Government of India and looking for developed land parcels with complete plug-n-play infrastructure.

- Discussions are also underway with agencies like Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) so as to take advantage of their global outreach, strong relationships and ability to attract potential anchor investors both from a developer-based model as well as directly into manufacturing by leveraging their investment experience in the infrastructure and manufacturing sector. As part of the Transaction Advisory support of ADB and IFC, various marketing activities will also be carried out including stakeholder consultations, round table conferences etc. including necessary capacity building of the various SPVs.

- SPVs are currently preparing a land incentivisation schemes for promoting allotment of land at concessional terms to the industries. SPVs are also preparing proposals for availing incentives offered by Central Ministries in the prioritized sectors like Pharma, Textiles, Electronics, Food Parks etc. in order to attract investments from industries from these sectors

- As part of the marketing initiatives, following major activities have been carried out:

    - NICDC is active on social media platforms like Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin and is keeping regular communication with concerned stakeholders about the latest updates in the industrial corridors and smart cities under development.
    - Out of Home digital campaigns in the form of Airport Translites was running at Delhi and Mumbai Airports for industrial corridor projects. The campaign has received positive feedback and encouraging response from various target audience.
    - Investor interaction is regularly taking place by means of participation in summits, conclaves, seminars and conferences being organized by various trade bodies, chambers of commerce and apex industry associations.
    - Business meetings with various industrial houses and trans-national companies explaining the business case for investing in Industrial Corridor Projects.
    - Investor roundtables have been held virtually with high-powered business delegations from various countries to present investment opportunities in the Industrial Corridor Projects.
    - Workshops with Investment Facilitation Agencies of various countries to present the manufacturing opportunities available in the Industrial Corridor Projects for global conglomerates and key market players.
    - Regular interactions are being done with the Ministries/ Departments of Government of India where Production Linked Incentive (PLI) Schemes have been announced to target companies which are looking for developed land parcels.

- The whole objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and thus making India a strong player in the Global Value Chain.

FINANCIAL RESULTS SUMMARY

During the Financial Year 2020-21, a sum of Rs. 2,559.90 crore and Rs. 40.10 crore was released by GOI towards the Main Corpus and Additional Corpus of the Trust, respectively.

The Financial Summary of the Trust at the end of the financial year is as follows:

(Rs. in Crore)

Particulars	Financial Year 2020-21 (Unaudited)	Financial Year 2019-20 (Audited)
Corpus / Capital Fund	8213.77	5655.90
Fixed assets	Nil	Nil
Investments	7526.85	5199.61
Current Assets	686.98	456.37
Earmarked Funds	Nil	Nil
Current Liabilities	0.05	0.08
Non-Current Liabilities	Nil	Nil
Gross Income	26.59	25.74
Excess /(Deficit) of Income over Expenditure	2.97	15.85

Auditors

As per Clause 13 of the Trust Deed, the NICDIT shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

The President of India entrusted the audit of Accounts of NICDIT to the office of C&AG for a period of 5 years from the year 2017-18 to 2021-22 under section 20(1) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Powers & Condition of Service) Act, 1971.

During the year, the C&AG Audit Team conducted Annual Accounts Audit and Transaction Audit for the financial year 2019-20.

Particulars of Employees

NICDIT has no employees during the year 2020-21. NICDC Limited, being the Knowledge Partner provides all services and support to NICDIT.

In accordance with the clause 8.5 of the Trust Deed, Secretary, Department for

Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) shall act as Chairman of the Trust and CEO & MD, NICDC Limited shall act as Chief Executive Officer (CEO) of NICDIT.

Acknowledgement

The Chief Executive Officer of the Trust wishes to place on record, his gratitude to all Trustees for their continued support, co-operation and contribution in the Trust.

***For* National Industrial Corridor Development and Implementation Trust**

(K.Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

Place : New Delhi
Date : 14-July-2021

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No. PDA/Infra/IHB-I/28-63/20-21/NICDIT 14

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 20.9.2021.

सेवा में ,

सचिव,भारत सरकार ,
वाणिज्य एवं उधोग मत्रालय,
उधोग भवन,
नई दिल्ली

विषय- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट (NICDIT) के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखो की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

हस्ता0
(रिना अकोइजम)
महानिदेशक

संलग्नः यथोपरि

संख्या:-

दिनाँकः- 20. 9.2021

प्रतिलिपिः-

1. CEO & Member Secretary, 8 फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

रिना

(रिना अकोइजम)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2021.

We have audited the attached Balance Sheet of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (Trust) as at 31 March 2021 and the Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) entrustment letter No.1 (27)-B(R)/2013 dated 1 September 2014. These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as required

under clause 13.1 of the Deed of Trust dated 27 September 2012 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Grants-in-aid

Status of Grants in aid under Project Implementation Fund and Project Development Fund was as under (as per information furnished by management).

(Rs. in crore)

Particulars	Project Implementation Fund (For Creation of Capital Assets)	Project Development Funds (payment to DMICDC to carry out project development activities)
Opening Balance (01.04.2020)	174.66	5.05
Add: Grants received during 2020-21	2559.90	40.10
Add: (a) Interest and Dividend earned during 2020-21 (Includes interest on deposits, interest on savings account and interest on income tax refund)	5.01	0.15
(b) Income Tax Refund	6.23	0.98
Total Amount available	**2745.80**	**46.28**
Less:- Amount Utilised	2378.88	45.10
Closing balance as on 31.03.2021	**366.92**	**1.18**

B. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the CEO & Member Secretary through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) We report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a) In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust as at 31 March, 2021 and

b) In so far as it related to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Rina Akoijam)
Director General of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 20 September 2021

Annexure

(to Separate Audit Report on the Accounts of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust for the year ended 31 March 2021)

1. **Adequacy of Internal Audit System.**

   Internal Audit was conducted for the year 2020-21 has been conducted by a Chartered Accountant Firm.

2. **Adequacy of Internal Control System.**

   Internal control system is commensurate with the size of the organization.

3. **System of physical Verification of Fixed Assets.**

   Trust is not having any fixed assets.

4. **System of Physical Verification of inventory.**

   Trust is not having any inventory.

5. **Regularity in payment of statutory dues.**

   Trust is generally regular in payment of statutory dues.

PDA/INFRA/IHQ-I/28-63/2021/NICDIT/14-

संख्या / No.

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 20.09.2021.

To

The CEO & Member Secretary,
8th Floor, Jeevan Bharti Building,
124, Connaught Place,
New Delhi-110001.

Sub: Management Letter - deficiencies noticed in the accounts of NICDIT for the year 2020-21

Sir,

Kindly refer to my office letter no. PDA/Infra/IHQ-I/28-63/20-21/ dated 20 September, 2021 vide which Separate Audit Report on the Annual Accounts of NICDIT for the year ended 31 March 2021 was issued. During the audit, the following deficiency was noticed which was not included in the Separate Audit Report. However, remedial action needs to be taken on this issue:

1. In terms of Accounting Policy 7, service fees for the services rendered by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) @ 1% (subject to the maximum limit of Rs. 20 crore in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis. However, service fee booked during the year 2020-21 is Rs. 23.60 crore and hence the accounting policy needs to be revised.

Yours faithfully,

(Rina Akoijam)
Director General

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

BALANCE SHEET
As at 31st March, 2021

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2020-21	2019-20
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	82,13,77,34,610	56,55,90,34,039
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked / Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	5,44,339	7,57,116
Total		**82,13,82,78,949**	**56,55,97,91,155**
ASSETS			
Fixed Assets	-	-	-
Investments	3	75,26,84,77,541	51,99,60,65,101
Current Assets, Loans, Advances etc.	4	6,86,98,01,408	4,56,37,26,054
Total		**82,13,82,78,949**	**56,55,97,91,155**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Giridhar Aramane)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 14-July-2021

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 2021

(Amount - ₹)

Particulars	Schedule	2020-21	2019-20
INCOME			
Interest Earned	5	25,86,71,340	25,73,67,649
Other Income	6	72,28,271	-
Total (A)		**26,58,99,611**	**25,73,67,649**
EXPENDITURE			
Other Administrative Expenses	7	23,61,99,040	9,89,16,473
Total (B)		**23,61,99,040**	**9,89,16,473**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		2,97,00,571	15,84,51,176
Transfer to Additional Corpus		19,00,889	77,890
Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Main Corpus / Capital Fund		**2,77,99,682**	**15,83,73,286**
Significant Accounting Policies	8		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	9		

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Giridhar Aramane)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 14-July-2021

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

RECEIPTS AND PAYMENTS

for the year ended 31st March 2021

(Amount - ₹)

RECEIPTS	2020-21	2019-20	PAYMENTS	2020-21	2019-20
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in Hand	-	-	Other Administrative Expenses	23,66,25,844	9,87,31,467
b) Bank Balances					
i) In Saving Accounts	79,221	1,03,179	**II. Payments made for various projects**		
ii) In Deposit Accounts	1,79,69,68,241	1,01,39,65,390	a) Out of Main Corpus		
			-Release of loan to:		
II. Grants Received			i) DMIC Vikram Udyogpuri Limited	28,00,00,000	50,00,00,000
a) From Government of India for Main Corpus	25,59,90,00,000	8,95,00,00,000	b) Out of Additional Corpus		
b) From Government of India for Additional Corpus			-Release of Grant-in-aid to:		
-Project Development Activities	40,00,00,000	55,00,00,000	i) NICDC Limited	45,10,00,000	50,00,00,000
-Swatchta Action Plan	10,00,000	-			
III. Income on Investments from (Refer to Schedule 6)			**III. Investments and deposits made**		
a) Main Corpus	-	-	a) Out of Main Corpus	23,44,39,12,440	7,78,00,40,000
b) Additional Corpus	-	-	b) Out of Additional Corpus	-	-
IV. Interest Received			**IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-progress**	-	-
a) On Bank Deposits (net of TDS)	2,66,72,696	6,19,53,817			
b) On Saving Accounts	1,78,09,237	16,70,150	**V. Refund of Surplus money/Loans**	-	-
c) On Loans and Advances (net of TDS)	-	56,26,393			
V. Other Income (Refer to Schedule 6)			**VI. Finance Charges (Interest)**	-	-
a) Main Corpus	60,87,073	-	**VII. Other Payments**	-	-
b) Additional Corpus	11,41,198	-			
VI. Amount Borrowed	-	-	**VIII. Closing Balances**		
			a) Cash in Hand	-	-
VII. Any Other Receipts			b) Bank Balances		
Repayment of Loan by:			i) In Saving Accounts	34,03,604	79,221
(i) NICDC Neemrana Solar Power Ltd.	-	2,50,00,000	ii) In Deposit Accounts	3,67,75,99,846	1,79,69,68,241
(ii) NICDC Logistics Data Services Ltd.	-	6,75,00,000			
(iii) Income Tax Refund	7,20,75,976	-			
(iv) Reimbursement of expenses from NICDC Ltd	2,08,092	-			
(v) Transfer of Equity	17,15,00,000	-			
Total	**28,09,25,41,734**	**10,67,58,18,929**	**Total**	**28,09,25,41,734**	**10,67,58,18,929**

Place: New Delhi
Date: 14-July-2021

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Giridhar Aramane)
Chairman

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2021

(Amount - ₹

Particulars		2020-21	2019-20
SCHEDULE 1 : CORPUS / CAPITAL FUND			
1.0. MAIN CORPUS / CAPITAL FUND			
Balance at the beginning of the year		56,49,88,29,965	47,39,04,56,679
Add: Contribution received towards Corpus / Capital Fund		25,59,90,00,000	8,95,00,00,00
Add / (Less): Balance of net income / expenditure transferred from the Income and Expenditure Account		2,77,99,682	15,83,73,28
Balance as at the year end (A)		**82,12,56,29,647**	**56,49,88,29,96**
1.1. ADDITIONAL CORPUS FOR NICDC LIMITED (Formerly Known as DMICDC LIMITED)			
Balance at the beginning of the year		3,82,74,25,787	3,27,74,25,78
Add: Contribution towards Additional Corpus / Capital Funds			
-For carrying out Project Development Activities		40,00,00,000	55,00,00,00
-For Swatchta Action Plan		10,00,000	-
	(a)	4,22,84,25,787	3,82,74,25,78
Add: Balance of net income / expenditure transferred from Income and Expenditure Account			
- Upto Previous Year		38,15,05,287	38,14,27,397
- During the Current Year		19,00,889	77,89
	(b)	38,34,06,176	38,15,05,287
Less: Amount utilised by releasing Grant-in-aid to NICDC Ltd. (Formerly Known as DMICDC Ltd.)			
- Upto Previous Year		4,14,87,27,000	3,64,87,27,00
- During the Current Year		45,10,00,000	50,00,00,00
	(c)	4,59,97,27,000	4,14,87,27,00
Balance as at the year end (B)=[(a) + (b) - (c)]		**1,21,04,963**	**6,02,04,074**
Grand Total (A + B)		**82,13,77,34,610**	**56,55,90,34,039**

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust ★ New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2021

(Amount - ₹)

Particulars		2020-21	2019-20
SCHEDULE 2 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
2.0. CURRENT LIABILITIES			
1. Sundry Creditors:			
(a) For Goods		-	-
(b) Others		1,36,475	1,43,616
2. Statutory Liabilities			
(a) Others			
- Tax Deducted at Source (TDS)		7,125	8,500
	(A)	1,43,600	1,52,116
2.1. PROVISIONS			
1. Others			
(a) Provision for Audit fees			
- Current Year		1,70,000	1,70,000
- Previous Years		2,30,739	4,35,000
	(B)	4,00,739	6,05,000
Total (A + B)		**5,44,339**	**7,57,116**
SCHEDULE 3 : INVESTMENTS			
1. Investment From Earmarked / Endowment Funds		-	-
2. Investment - Others			
(a) Shares			
Investment in Equity Shares of-			
- DMIC Pithampur Jal Prabandhan Co Ltd *		-	17,15,00,000
- DMIC Vikram Udyogpuri Ltd		55,93,00,000	55,93,00,000
- Integrated Industrial Township Greater Noida Limited		6,17,20,00,000	6,17,20,00,000
- Aurangabad Industrial Township Ltd.		30,00,00,00,000	22,52,70,00,000
- Dholera Industrial City Dev. Ltd.		25,51,94,08,351	19,95,54,08,351
- NICDC Logistics Data Services Ltd		4,01,98,000	4,01,98,000
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- DMIC Haryana MRTS Project Ltd.		5,00,00,000	5,00,00,000
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited		2,08,05,41,750	2,04,82,58,750
- Dholera International Airport Co Ltd.		24,24,00,000	24,24,00,000
- CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.		5,86,73,86,600	2,50,00,000
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited		4,53,22,42,840	2,50,00,000
- CBIC Ponneri Industrial Township Limited		2,50,00,000	-
(b) Others			
- Release of Funds to NICDC Limited (Formerly Known as DMICDC Limited for Investment in Equity Shares of NICDC Neemrana Solar Power Limited (Refer Note No. 3 of Schedule-9)		13,00,00,000	13,00,00,000
Total		**75,26,84,77,541**	**51,99,60,65,101**

* In the 2nd Meeting of NICDIT held on August 23, 2017, Board of Trustee approved the transfer of 49% of equity in DMIC Pithampur Jal Prabandhan Limited held by NICDIT to the State Government in terms of the provision of Clause 9.2 of the Shareholder Agreement. The transfer of Equity took place on 14th September, 2020

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March, 2021

(Amount - ₹)

Particulars		2020-21	2019-20
SCHEDULE 4 : CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.			
4.0. CURRENT ASSETS:			
1. Bank Balances with Scheduled Banks:			
(a) On Deposit Accounts			
- Main Corpus		3,66,58,37,499	1,74,65,46,460
- Additional Corpus		1,17,62,347	5,04,21,781
(b) On Saving Accounts			
- Main Corpus		33,53,323	25,524
- Additional Corpus		50,281	53,697
	(A)	3,68,10,03,450	1,79,70,47,462
4.1. LOANS, ADVANCES & OTHER ASSETS:			
1 Loans and Advances (considered good and recoverable) to:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited		2,60,54,00,000	2,32,54,00,000
2. Interest Accrued and due on Deposits with Bank:			
-Main Corpus		9,95,161	47,30,209
-Additional Corpus		3,15,120	6,625
3. Interest Accrued but not due on Loans and Advances from:			
-DMIC Vikram Udyogpuri Limited*		53,83,54,025	33,88,72,491
4. Others:			
-Tax Deducted at Source			
i. Main Corpus		4,36,68,120	8,78,64,915
ii. Additional Corpus		59,596	98,04,352
-Prepaid Expenses		5,936	-
	(B)	3,18,87,97,958	2,76,66,78,592
Total (A + B)		6,86,98,01,408	4,56,37,26,054

* As per the Clause 5.1 of the loan agreement, interest accrued on the loan disbursed to the SPV will be received only after the completion of Moratorium period of 10 years commencing from project commencement date of 7th July 2015.

National Industrial Corridor Development And Implementation Trust ★ New Delhi

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
for the year ended 31st March 2021

(Amount - ₹)

Particulars	2020-21	2019-20
SCHEDULE 5 : INTEREST EARNED		
1. On Term Deposits (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	2,44,53,725	6,90,10,976
[TDS for Current Year - ₹ 19,03,797/- (Previous Year - ₹ 69,24,635/-)]		
(b) Additional Corpus	7,52,665	31,436
[TDS for Current Year - ₹ 56,451/- (Previous Year - ₹ 3,145/-)]		
2. On Savings Accounts (with Scheduled Bank):		
(a) Main Corpus	1,78,02,212	16,23,696
(b) Additional Corpus	7,026	46,454
3. On Loans:	21,56,55,712	18,66,55,087
[TDS for Current Year - ₹ 1,61,74,178/- (Previous Year - ₹ 1,86,65,510/-)]		
Total	**25,86,71,340**	**25,73,67,649**
SCHEDULE 6 : OTHER INCOME		
1. Interest on Income Tax Refund:		
(a) Main Corpus	60,87,073	-
(b) Additional Corpus	11,41,198	-
2. Dividend Income	-	-
Total	**72,28,271**	**-**
SCHEDULE 7 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Service Fees	23,60,00,000	9,77,04,472
b) Auditors Remuneration		
- Current Year	1,70,000	1,70,000
- Previous Years	53,534	-
c) Advertising Expenses *	(2,25,277)	-
d) Expenses on Filling Fees	-	166
e) Professional and Consultancy Fees	1,18,590	1,19,108
f) Meeting and Conference Expenses	18,712	21,049
g) Printing & Stationery	58,346	3,33,772
h) Share Dematerialsation Expenses	5,053	5,54,427
i) Others		
- Misc. Expenses	82	13,479
Total	**23,61,99,040**	**9,89,16,473**

* In compliance to the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) , the advertisement expenditure incurred on behalf of NICDC Ltd. has been reversed and recovered.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST

(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

for the year ended 31st March 2021

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on the basis of accrual method of accounting unless otherwise stated.

2.0 Long-term Investments

Long-term investments are carried at actual cost including the cost incidental to acquisition.

3.0 Fixed Assets

3.1 Fixed Assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

3.2 Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management;

3.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Trust and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Income and Expenditure Account when incurred;

3.4 Depreciation is provided on pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) method. Depreciation is provided based on useful life of the assets.

4.0 Government Grant

4.1 Trust receives non-recurring / recurring grants-in-aid from Government of India separately for:

(i) "Creation of Capital Assets" towards the main Corpus of the Trust shown as "Main Corpus" under "Corpus / Capital Fund"; and

(ii.) "General" earmarked to be given to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid to carry out project development activities and for Swatchta Action Plan are shown as "Additional Corpus" under "Corpus / Capital Fund".

This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

4.2 The grants-in-aid received from the Government of India are accounted on receipt basis.

5.0 Revenue Recognition

5.1 Income is recognised on accrual basis.

5.2 Interest earned on surplus funds of "Main Corpus" and "Additional Corpus" are shown distinctly under these respective heads. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

SCHEDULE 8 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

6.0 Other Administrative Expenses

Other administrative expenses are met out of the interest income on surplus funds of grant-in-aid received under the head "Main Corpus / Capital Fund".

7.0 Service Fees

Service Fees for the services rendered by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by Trust to various projects out of Project Implementation Fund (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

8.0 Foreign Currency Transactions

Expenses in foreign currencies are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies.

9.0 Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Income and Statement account on accrual basis.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS
for the year ended 31st March 2021

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1.0 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier DMIC Project Implementation Trust Fund) was formed on 27th September, 2012 through the execution of Trust Deed.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) vide order no. 11/1/2016 dated 22.12.2016 conveyed the approval of Government of India in its Cabinet Meeting held on 7th December, 2016 for the expansion of mandate of Trust to include other Industrial Corridors i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC), Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC), Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore (approved by Board of Trustees of NICDIT in its 4th meeting held on 30th August 2019) and Vizag – Chennai Industrial Corridor (VCIC) as part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Projects along with existing Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project and its redesignation as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT).

Further, Government of India in its meeting held on 30th December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridor projects consisting of 32 projects to be developed in 4 phases, under the Industrial Corridor Programme, within the overall framework of National Master Plan for multi modal connectivity. Out of these 11 Industrial Corridor projects , 5 were already approved earlier by GoI.

2.0 As per the Financial and Institutional structure for the development of industrial cities in the Delhi - Mumbai Industrial Corridor (DMIC) approved by the Government on 15th September, 2011, the Government of India will provide a grant-in-aid of ₹ 17,500 crore to the Trust over the next 5 years beginning 2011-12, for the development of industrial cities. An Additional Corpus of ₹ 1000 crore would be given to Trust for passing on to National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) Limited) as grant-in-aid over the next five years to carry out project development activities and to form project specific SPVs and sectoral holding companies consisting of project specific SPVs in a range of infrastructure areas.

Government of India in its meeting held on 7th December, 2016 accorded its permission to utilise the above approved financial assistance along with additional sanctioned amount of ₹ 1584 crore (i.e., ₹ 1500 crore for other industrial corridor and ₹ 84 crore for Administrative expenses of NICDIT) within the extended period upto 31st March, 2022 which has been further extended upto March 2027 as per the approval given by Government of India in its meeting held on 30th December 2020.

During the year, a sum of ₹ 2559.90 crore (Previous Year ₹ 895 crore) was received towards Main Corpus / Capital Fund and ₹ 40.10 crore (Previous Year ₹ 55 crore) towards the Additional Corpus.

The Government of India's contribution to Trust would be used as a Revolving Corpus.

3.0 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) out of Main Corpus/ Capital Funds of Trust during the financial year 2013-14 for onward release to its 100% owned SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited" (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) towards 100% equity investment of Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Limited (Formerly knwon as DMICDC Limited). The amount so released was reduced from the Corpus Funds of Trust during the Financial Year 2013-14.

As per the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountant of India obtained on the recommendations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) regarding the disclosure of the transaction, the amount reduced from the Main Corpus /Capital Fund of the Trust has been added back during the financial year 2016-17.

The corresponding disclosure has been made under the head "Investment"

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

4.0 Employee Benefits

Trust does not have any employee. The provision for liability on account of employee's benefit including retirement benefit is NIL (Previous Year NIL).

5.0 Contingent Liabilities

The Contingent Liability of Trust is NIL (Previous Year NIL).

6.0 Capital Commitments

The Capital Commitment of Trust is NIL (Previous Year NIL).

7.0 Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management and to the best of their knowledge and belief, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business which would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

8.0 Taxation

The Director of Income Tax (Exemption) vide order dated 13th August, 2013, has granted registration under section 12A read with section 12AA of the Income Tax Act, 1961 with effect from the assessment year 2013-14 in response to an application filed by Trust on 28th March, 2013. Accordingly, the Trust has not made provision for income tax.

In accordance with the recent ammendments in the provisions of Income Tax Act, 1961, the Trust has re-registered itself under section 12A of the Income Tax Act,1961. The Principal Commissioner of Income Tax vide order dated 28th May ,2021 has granted provisional registration under sub clause (i) of clause (ac) of sub-section(1) of Section 12A of the Income Tax Act,1961 for the period of five years starting from AY 2022-23.

Besides, in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, an amount of ₹ NIL/-(Previous Year - ₹ 11,98,46,028/-) is set apart out of the income of the Trust which is to be utilised within 5 years i.e., upto 31.03.2026 for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

The amount set apart upto the financial year 2019-20 has already been utilised for the purpose of development and implementation of Industrial Corridor Projects.

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TRUST
(Formerly Known as DMIC Project Implementation Trust Fund)

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS
for the year ended 31st March 2021

SCHEDULE 9: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

		Amount (₹) 2020-21	Amount (₹) 2019-20
9.0	**Foreign Currency Transactions**		
9 1	Earning in Foreign Currency	Nil	Nil
9 2	Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
10.0	**Remuneration to Auditors**		
10 1	Audit Fees		
	- For Current Year	1,70,000	1,70,000
	- For earlier Financial Years	53,534	-
10 2	For Taxation Matters	-	-
10 3	For Other Services	-	-

11.0 Project Development Expenditure

In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) on the Annual Accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC)(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC)), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018.

As per the directions of the Board of Trustees, 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid, to the concerned subsidiaries /SPVs has been transferred to the respective SPVs wherever the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s) /Nodal Agency(ies) provides for recovery and the recovery of the same has been deferred till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds.

Further, in accordance with the accounting policies of NICDC Limited, the project development expenditure incurred for the projects which have not been taken off or no further activities have been carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s) /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery, have been disclosed as reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' in the Financial Statements of NICDC Limited.

12.0 Receipts and Payments Account

The Receipts and Payments Account is prepared on the basis of inflows and outflows of cash during the year. This is in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

13.0 Impact of COVID-19 on the operations of the Trust

The Trust on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Trust are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

14.0 Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged, wherever necessary

15.0 Schedules 1 to 9 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2021 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date.

For and on behalf of
National Industrial Corridor Development and Implementation Trust

(K Sanjay Murthy)
CEO & Member Secretary

(Giridhar Aramane)
Chairman

Place: New Delhi
Date: 14-July-2021